

वार्षिक रिपोर्ट

2019–2020



bmtipc

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संबद्धन परिषद्
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2019-2020

bmtpc

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोट-5ए, प्रथम तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी ईड,
नई दिल्ली-110003

विषय-सूची

मिशन और ध्येय	1
प्रक्तावना	2
वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य पहलें और क्रियाकलाप	6
I. उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए आदर्श प्रदर्शन निर्माण	6
1. देश के विभिन्न भागों में उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजना	6
II. प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (गहरी) मिशन	9
1. प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के कार्यान्वयन में बीएमटीपीसी की भूमिका	9
III. राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का क्रियान्वयन	13
IV. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन	14
1. भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी अभिकल्प एवं निर्माण पद्धतियों के संबंध में विषयगत कार्यशाला	14
2. भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई—पाठ्यक्रम	18
3. भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर आंकड़ों का आदान—प्रदान	20
V. निर्माण क्षेत्र में सूचना एवं आंकड़ा आधार का सुदृढ़ीकरण	21
1. "निर्माण सारिका" का प्रकाशन – बीएमटीपीसी न्यूजलेटर का विशेषांक	21
2. मानकीकरण एवं उत्पाद मूल्यांकन	21
3. परिषद् की वेबसाइट के माध्यम से सूचना का प्रसार	23
VI. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवर्द्धनात्मक और क्षमता निर्माण क्रियाकलाप	24
1. लखनऊ में पीएमएवाई (शहरी) के तहत "वृहत स्तर पर आवास निर्माण में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रयोग" पर संवेदनशील बनाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन	24
2. हैदराबाद में उड़न राख (फ्लाई एश) के प्रयोग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन	24
3. मुम्बई में "टिकाऊ निर्माण के लिए उडन राख और सी एंड डी उत्पादों का प्रयोग" पर कार्यशाला का आयोजन	25
4. किफायती टिकाऊ आवास त्वरक – भारत (आशा—भारत) के लिए त्वरक कार्यशाला का आयोजन	26
5. एलएचपी की हरित रेटिंग के लिए टीईआरआई के साथ 6 एलएचपी के संविदाकारी अभिकरणों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन	27
6. इम्फाल, मणिपुर में आवास और निर्माण के लिए बांस की संरचनाओं पर विषयगत कार्यशाला—एवं—प्रशिक्षण कार्यक्रम	27
7. नई दिल्ली में राजभाषा पर कार्यशाला का आयोजन	28
8. विश्व पर्यावास दिवस 2019 समारोह	29
VII. प्रौद्योगिकी विकास, प्रसार एवं स्थानांतरण	31
1. उभरती आवास प्रौद्योगिकियों की पहचान एवं मूल्यांकन	31
2. नवरीति की संकल्पना : नवोन्मेष निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	32
3. निर्माण प्रौद्योगिकियों पर सार—संग्रह तैयार करना	32

4.	जीएचटीसी—भारत के अंतर्गत शार्टलिस्टिड नवोन्मेष उभरती प्रौद्योगिकियों पर सार—संग्रह तैयार करना	33
5.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली की "मास्टर आफ प्लानिंग (आवास)" के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम	33
	संगठन	34
	स्टाफ संख्या (यथा 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)	36
	लेखा	37
	अनुबंध	
I	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी	57
II	प्रस्तुतियों सहित प्रस्तुत/प्रकाशित आलेख	66
III	वर्ष के दौरान प्रकाशित प्रकाशन	68

ध्येय

"बीएमटीपीसी, आम आदमी पर विशेष ध्यान देते हुए आपदा रोधी निर्माण सहित सुरिथर निर्माण सामग्रियों और उचित प्रौद्योगिकियों तथा प्रणालियों के क्षेत्र में सभी के लिए विश्व स्तरीय ज्ञान (नॉलेज) तथा प्रदर्शन (डिमोस्ट्रेशन) हब बने।"

मिशन

"आवास के सुरिथर विकास के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों सहित संभावित लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, आपदा रोधी निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन और प्रयोगशालाओं से जमीन तक इनके अंतरण के लिए व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण बनाने की दिशा में कार्य करना"

प्रस्तावना

वर्ष 1990 में स्थापित निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् (बीएमटीपीसी) भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। बीएमटीपीसी को क्षेत्र स्तरीय अनुप्रयोगों हेतु उभरती भवन निर्माण सामग्रियों और निर्माण प्रौद्योगिकियों सहित संसाधन-दक्ष, जलवायु अनुकूल, आपदा रोधी निर्माण पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के कार्य सौंपे गये हैं। बीएमटीपीसी, भवन निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों एवं आपदा रोधी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय के लिए संसाधन संस्थानों में से एक है।

अपने अपेक्षित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, बीएमटीपीसी ने इस क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्रियों और आवास प्रौद्योगिकियों के सफलतापूर्वक अंतरण के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों, विदेशी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से बहुआयामी गतिविधियों को प्रारंभ किया। विगत वर्षों से परिषद् निर्माण उद्योग में नवोन्मेषी, लागत-प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जादक्ष वैकल्पिक निर्माण सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने के लिए सामर्थ्यकारी पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन के लिए प्रयासरत है। बीएमटीपीसी देश के विभिन्न भागों में अन्य सरचनाओं के साथ आदर्श प्रदर्शन आवासों के निर्माण का कार्य भी करता है ताकि उभरती निर्माण प्रणालियों के क्षेत्र स्तरीय अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया जा सके और हितधारकों तक पहुंच बनायी जा सके। अपने प्रौद्योगिकी विकास, संवर्द्धन एवं प्रसार के प्रयासों में, परिषद् ने बांस आधारित आवास समाधान सहित आवास एवं भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित किया है। परिषद् ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रदर्शन ढांचों का निर्माण भी किया है एवं बांस की चटाई से संबंधित उत्पाद जैसे कि नालीदार चादरें, बांस के बोर्ड (तख्ते) आदि के उत्पादन के लिए बांस की चटाई उपलब्ध कराने हेतु बांस की चटाई उत्पादन केंद्रों की स्थापना में मदद भी की है जिससे कौशल विकास व रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलती है।

हाल के वर्षों में परिषद् ने न केवल पहचान, मूल्यांकन एवं प्रसार के माध्यम से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन की दिशा में अपने प्रयास को पुनः केंद्रित किया है बल्कि वृहत् स्तर पर किफायती आवास हेतु देश और विदेशों में उभरती पूर्व-निर्मित आवास प्रौद्योगिकियों के प्रसार पर भी ध्यान दिया है। परिषद् आवास निर्माण क्षेत्र में कम लागत, सस्ते, गुणवत्तापरक, पर्यावरण सुरक्षा एवं गति लाने और सततता बनाए रखने के लिए विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों, जो विश्व में कहीं भी सफल रहे हैं, को लाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

परिषद् सक्रिय तौर पर आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन गतिविधियों में शामिल है तथा एनडीएमए, एनआईडीएम और अन्य संबंधित संस्थानों के साथ गहन समन्वय बनाते हुए कार्य कर रही है। पहली बार 1997 एवं 2006 में भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस निकालने के बाद परिषद् ने वर्ष 2019 में भारत की अपनी अतिसंवेदनशीलता एटलस का तीसरा संस्करण प्रकाशित किया है जिसका लोकार्पण भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया है।

भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी डिजाइन के संबंध में शिक्षित करने एवं जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से परिषद् ने आवास और अवसंरचना के क्षेत्र में कार्य कर रहे इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य हितधारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया है। योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली के सहयोग से भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर एक ई-पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त परिषद् नियमित रूप से आपदा रोधी निर्माण के संबंध में मूल्यवान दिशा-निर्देशों/मैन्यूअलों का प्रकाशन करता है। भूकंप संबंधी तैयारियों और भूकंप रोधी निर्माण पद्धतियों और भूकंपीय रेट्रोफिटिंग के प्रसार की दिशा में, परिषद् ने जीवन-रेखा भवनों सहित कुछ भवनों की रेट्रोफिटिंग का कार्य प्रारंभ किया है और व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रौद्योगिकी

उप-मिशन का उद्देश्य राज्यों में सतत-स्थायी विकास के लिए नवोन्मेष और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाना है। बीएमटीपीसी उप मिशन के लिए तकनीकी सचिवालय है और आपदा रोधी, ऊर्जा-दक्ष एवं पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकियों के प्रभावी प्रयोग के लिए मंत्रालय और राज्यों को सहयोग प्रदान करता है। परिषद को भूकंपीय जोन IV और जोन V में आने वाले विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मूल्यांकन और निगरानी अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। परिषद वृहत् स्तर पर आवास के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें अपनाने में विभिन्न राज्य सरकारों व अन्य एजेंसियों के साथ मिल कर कार्य कर रही है। बीएमटीपीसी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गये वैशिक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत (जीएचटीसी-इंडिया) में तकनीकी साझेदार भी है।

बीएमटीपीसी में राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का सृजन किया गया है जो ऋणदाता एजेंसियों/वित्तीय संसाधनों से ऋण एकत्रित करता है। एनयूएचएफ के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) द्वारा प्राप्त निधियां बीएमटीपीसी को ऋण के रूप में प्राप्त की जा रही हैं जिनको केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को संवितरित किया जाता है और पीएमएवाई(यू) के मिशन सीएलएसएम वर्टिकल के अंतर्गत सीएनए को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। बीएमटीपीसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कार्यों की निगरानी एवं डेटा विश्लेषण, संकलन तथा प्रसार व इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवधिक रिपोर्ट तैयार करने एवं अन्य संबंधित आईसीटी गतिविधियों के लिए एक डेटा संसाधन-एवं-निगरानी केंद्र (डीआरएमसी) का भी संचालन किया जा रहा है।

उद्देश्य

- भवन निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियां:** निर्माण क्षेत्र में प्रमाणित नवोन्मेषी एवं उभरती निर्माण सामग्रियां तथा प्रौद्योगिकियों के विकास, मानकीकरण, यंत्रीकरण तथा बड़े पैमाने पर धरातल पर अनुप्रयोग को बढ़ावा देना।

- क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास:** व्यावसायिकों, निर्माण एजेंसियों, कारीगरों हेतु क्षमता निर्माण एवं उचित निर्माण पद्धतियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र के रूप में काम करना तथा निर्माण प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से जमीन तक लाने के लिए विपणन करना
- आपदा ब्यूनीकरण एवं प्रबंधन:** प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण, भेद्यता तथा जोखिम कम करने की प्रौद्योगिकियों एवं कार्य-प्रणालियों को बढ़ावा देना और रेट्रोफिटिंग/भवनों का पुनर्निर्माण तथा मानव बस्तियों के लिये आपदा रोधी योजना बनाना।
- परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श:** मूल्यांकन, निगरानी तथा केन्द्र/राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत आवास परियोजनाओं का तृतीय पक्ष का निरीक्षण सहित परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श की सेवाएं देना।

प्रमुख कार्य क्षेत्र

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आवास क्षेत्र के लिए उपलब्ध प्रमाणित एवं उभरती आवास प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, उसका मूल्यांकन करना एवं उसे बढ़ावा देना।
- निर्माण में गति, किफायत, कुशलता एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना।
- प्रौद्योगिकियों को प्रोन्नत करने, जानकारी जुटाने, आत्मसात करने तथा प्रसार करते हुए प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग हेतु सामर्थ्यकारी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- प्रदर्शन संरचना के माध्यम से प्रमाणित, स्थानीय तौर पर उपलब्ध एवं उभरती प्रौद्योगिकियों हेतु पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा दक्ष तथा आपदा रोधी प्रौद्योगिकियों का जमीनी स्तर पर अनुप्रयोग।
- उभरती हुई प्रौद्योगिकी/ प्रणाली सहित प्रमाणित भवन निर्माण सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों पर संहिताओं, अनुसूचियों और मानकों का निरूपण।
- लागत प्रभावी एवं नवोन्मेषी भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकियों के लाभ, टिकाऊपन एवं स्वीकार्यता का प्रलेखन।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों के

द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिकों एवं निर्माण कामगारों के कौशल को संवर्धन करना

- आपदा रोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत डेटा संसाधन—एवं—निगरानी केन्द्र (डीएमआरसी) के संचालन कार्य प्रांभ करने संहित आवास परियोजनाओं का मूल्यांकन, निगरानी तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण करना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अतिरिक्त बजटीय संसाधन के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का क्रियान्वयन
- परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी सेवाएं
- उपयोगकर्ता मैन्यूअल, दिशानिर्देश, सार—संग्रह, निर्देशिका, विवरणिका, तकनीकी—व्यवहार्यता रिपोर्ट, वीडियो फ़िल्म, प्रदर्शन सीडी, इंटरेक्टिव वेबसाइट, ब्लॉग के प्रकाशन सहित सफलता की कहानियों का प्रलेखन।

प्रशासन एवं प्रबंधन

बीएमटीपीसी के प्रशासनिक एवं तकनीकी 'दायित्वों प्रणाली को अपनाकर अपने प्रशासनिक एवं तकनीकी का पालन करता है जो निम्नानुसार है:

- i. प्रबंधन बोर्ड जिसके अध्यक्ष माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हैं
- ii. कार्यकारी समिति जिसके अध्यक्ष सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय हैं
- iii. कार्यकारी निदेशक

परिषद् के प्रबंधन बोर्ड में विभिन्न मंत्रालयों एवं संबंधित संगठनों के 16 सदस्य शामिल हैं। कार्यकारी समिति में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) एवं तकनीकी विशेषज्ञों से 9 सदस्य शामिल हैं। प्रबंधन बोर्ड एवं कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:

प्रबंधन मंडल

(31.3.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सदस्यगण	
1	श्री हरदीप सिंह पुरी माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार.), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2	श्री दुर्गा शंकर मिश्र सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	उपाध्यक्ष
3	श्री अशोक कुमार जैन वरिष्ठ सलाहकार (आरडी एवं एचयूए), नीति आयोग, भारत सरकार	सदस्य
4	डॉ. एम नागराज अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको)	सदस्य
5	डॉ अरुण कुमार पांडा सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6	प्रो. आशुतोष शर्मा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
7	डॉ. इन्द्रजीत सिंह सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
8	श्री जी.वी.वी. शर्मा सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार	सदस्य
9	डॉ. शेखर सी. मांडे, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारत सरकार	सदस्य

क्र.सं.	सदस्यगण	
10	श्री पी.के. वत्स, महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार	सदस्य
11	प्रो. के. एन. सत्यनारायण निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), तिरुपति	सदस्य
12	प्रो. सुधीर कुमार जैन निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गांधीनगर	सदस्य
13	श्री शिव दास मीणा अतिरिक्त सचिव (आवास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
14	श्री श्याम एस. दुबे संयुक्त सचिव एवं एफए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
15	श्री अमृत अभिजात संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एचएफए) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
16	डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल कार्यकारी निदेशक, निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	सदस्य—सचिव

कार्यकारी समिति

(31.3.2020 की दिनति के अनुसार)

क्र.सं.	सदस्यगण	
1	श्री दुर्गा शंकर मिश्र सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2	श्री शिव दास मीणा अतिरिक्त सचिव (आवास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
3	श्री श्याम एस. दुबे संयुक्त सचिव एवं एफए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
4	श्री अमृत अभिजात संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एचएफए) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
5	डॉ. एम नागराज अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको)	सदस्य
6	डॉ. एन. गोपालकृष्णन निदेशक, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की	सदस्य
7	प्रो. प्रदिप्ता बनर्जी प्रमुख, सेंटर फार अर्बन साईस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट आफ सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी मुंबई	सदस्य
8	श्री जे.एस.गोपीनाथ निदेशक एवं प्रमुख वास्तुकार, जे.एस.कै.एम आर्किटेक्चर, इंटीरियरस क्यूब, हैदराबाद	सदस्य
9	डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल कार्यकारी निदेशक, निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	सदस्य—सचिव

वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्य पहलें और क्रियाकलाप

I. उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए आदर्श प्रदर्शन भवन

1. देश के विभिन्न भागों में उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजनाएं

परिषद् देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों की पहचान, मूल्यांकन, मानकीकरण, प्रमाणन, क्षमता निर्माण एवं जमीनी स्तर के अनुप्रयोग के माध्यम से प्रमाणित एवं उभरती निर्माण सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रही है। कुछ समय पूर्व ही, परिषद् ने देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रदर्शन आवासों का निर्माण किया है। परिषद् के इन प्रयासों से सार्वजनिक एवं निजी निर्माण एजेंसियों, पेशेवरों आदि में प्रमाणित एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रति विश्वसनीयता व स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद मिली है।

बीएमटीपीसी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्यों में नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता के प्रसार करने और विश्वास उत्पन्न करने एवं तकनीकी जानकारी के प्रसार के उद्देश्य से उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए भारत के विभिन्न भागों में प्रदर्शन आवासों का निर्माण कर रहा है। भुवनेश्वर, ओडिशा स्थित डीएचपी को पहले ही राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। यद्यपि, गाचीबाबली, हैदराबाद, तेलंगाना; औरंगाबाद जागीर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश; और बिहार शरीफ, बिहार में डीएचपी के निर्माण के पूरा होने के पश्चात इन डीएचपी को संबंधित राज्य सरकारों को सौंपा जा रहा है जिसके लिए संबंधित राज्य सरकारों से निरन्तर पूरी की गई इन परियोजनाओं को ग्रहण करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, परिषद् ने दो नई डीएचपी, पंचकूला, हरियाणा और अगरतला, त्रिपुरा के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है और अहमदाबाद, गुजरात और गोवा में दो और डीएचपी की शुरुआत की है।

पंचकूला, हरियाणा स्थित प्रदर्शन आवास परियोजना

परियोजना का उपयोग	कामकाजी महिला होस्टल (किराया आधार पर)
नोडल अभिकरण	नगर निगम पंचकूल
परियोजना की अवस्थिति	सेक्टर 27, पंचकूला
रिहायशी एककों की संख्या	40 (भूतल +3)
अन्य प्रावधान	अतिथि कक्ष-1, चिकित्सा कक्ष-1, केयर टेकर रुम-1, डे केयर सेंटर-1, कॉमन रुम/डाइनिंग रुम -1 और लांड्री-1
भूखंड का कुल क्षेत्रफल	3571.81 वर्गमीटर
डीएचपी के लिए भूखंड का क्षेत्रफल	1412.36 वर्गमीटर
एक यूनिट का कारपेट क्षेत्रफल	21.86 वर्गमीटर
एक यूनिट का कुल निर्मित क्षेत्रफल	31.51 वर्गमीटर
कुल आच्छादित क्षेत्रफल	2015.95 वर्ग मीटर अथवा 21691.62 वर्गफुट
उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी	दीवारों के दोनों तरफ सीमेंट फाइबर बोर्ड के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेमवर्क सिस्टम (एलजीएसएफएस) और रॉक वूल का भराव
अवसरंचना संघटक	सीवेज, बाह्य जल आपूर्ति, जलनिकासी, वर्षा जल संग्रहण, बाह्य इलेक्ट्रीफिकेशन, सौर स्ट्रीट लाइट्स, लैंडरकेपिंग आदि के साथ सड़के एवं पेवमेंट्स, बाउंड्री वाल



दीवारों के दोनों ओर सीमेंट फाइबर बोर्ड और टॉक वूल भरण के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेमवर्क सिस्टम (एलजीएसएफएस) का उपयोग करते हुए पंचकूला, हरियाणा में निर्मित की जा रही प्रदर्शन आवास परियोजना में नींव गड़ों की खुदाई

अगरतला, त्रिपुरा में प्रदर्शन आवास परियोजना

परियोजना का उपयोग	किराया आधार पर (सामाजिक कार्यों के लिए)
नोडल अभिकरण	शहरी विकास विभाग, त्रिपुरा
परियोजना की अवस्थिति	खतियन संख्या—2 / 18 भूखण्ड संख्या 2337–2339, मौजा—नरसिंहगढ़, तहसील—गांधीग्राम, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा
उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी	स्ट्रक्चरल स्टेइन प्लेस स्टील फ्रेमवर्क सिस्टम (कोफोर)
भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	2363.5 वर्गमीटर
रिहायशी एककों की संख्या	40 संख्या (भूतल+1)
अन्य प्रावधान	कार्यालय—1, चिकित्सा कक्ष—1, केयर टेकर रुम—1, डाइनिंग रुम —1, रसोई—1, गतिविधि कक्ष—2
एक यूनिट का कारपेट क्षेत्रफल	21.86 वर्ग मीटर
यूनिट का कुल निर्मित क्षेत्रफल	29.90 वर्ग मीटर

भूतल पर कवरेज क्षेत्रफल	916.87 वर्ग मीटर
कुल आच्छादित क्षेत्रफल (सभी तल)	1833.74 वर्ग मीटर अथवा 19731.04 वर्गफुट
अवसरंचना संघटक	सड़के और पेवमेंट्स, सीवरेज, सेप्टिक टैंक, बाहू जल आपूर्ति, भूमिगत पानी का टैंक, जलनिकासी, वर्षा जल संग्रहण, सौर स्ट्रीट लाइट्स, लैंडस्केपिंग, गेट के साथ बाउंड्रीवाल आदि

दोनों डीएचपी पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और नींव का काम जारी है।

इसके अलावा, सीएसएमसी की स्वीकृति से, दो डीएचपी अर्थात् चिंबेल, गोवा और हाथीजन, गुजरात में भी शुरू किए गए हैं। पीएमएवाई—शहरी के सीएसएमसी द्वारा विचार के लिए इन दो प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थीं। इसके अलावा, इच्छुक राज्यों में संबंधित राज्यों के अधिकारियों के साथ प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के निर्माण के स्थलों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया गया। अब इन दोनों डीएचपी के लिए निविदाएं एनआर्सी के सीपीपी पोर्टल के माध्यम



स्ट्रक्चरल स्टेइंग प्लेस स्टील फोर्मवर्क (कोफोर) का उपयोग करते हुए अगरतला, त्रिपुरा में निर्मित की जा रही प्रदर्शन आवास परियोजना में बीव के गह्वाँ की खुदाई और पीछीदी रखा जाना

से आमंत्रित की गई हैं और तकनीकी बोलियां खोली गई हैं। प्राप्त बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के बाद वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी।

इसके अलावा, अन्य राज्यों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के माध्यम से नवोन्मेष प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करें और अपनी निर्माण परियोजनाओं में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाएं।

प्रदर्शन आवास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रचार के लिए तकनीकी समूह

पंचकुला, हरियाणा और अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा में प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) की प्रगति की देखरेख के लिए और डीएचपी में इस्तेमाल होने वाली उभरती प्रौद्योगिकियों की राज्य सरकार के भीतर व्यापक स्वीकार्यता के लिए प्रचार करने के लिए भी एक तकनीकी समूह का गठन किया गया है। इस तकनीकी समूह में एसएलएनए का प्रतिनिधि, स्थानीय आईआईटी/एनआईटी/अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ, यूएलबी और बीएमटीपीसी के इंजीनियर इसके सदस्यों के रूप में समिलित हैं।

II. प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन

1. प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के कार्यान्वयन में बीएमटीपीसी की भूमिका

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-सबके लिए आवास" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परिषद् को विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में भूकंपीय जोन IV एवं जोन V में प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अंतर्गत, परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है और परिषद् राज्यों के स्थानीय निकायों की टीपीआईएम समीक्षा और कार्मिकों की क्षमता निर्माण का कार्य भी करता है। वर्ष के दौरान परिषद् ने मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार निम्नांकित गतिविधियों के संबंध में कार्य प्रारंभ किया है:

पीएमएवाई के बीएलसी घटक के तहत परियोजनाओं की स्थलीय समीक्षा के साथ-साथ डीपीआर की डेस्क स्तरीय समीक्षा

- 1) 27 जून – 1 जुलाई, 2019 के दौरान मेरांग, मेघालय में लाभार्थी द्वारा स्वयं निर्माण के तहत 129 आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए डेस्क और स्थल स्तरीय समीक्षा।
- 2) 27 जून – 1 जुलाई, 2019 के दौरान चौथे घटक (लाभार्थी द्वारा स्वयं निर्माण) के तहत नोंगस्टोइन टाउन, मेघालय में 765 नई आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए डेस्क स्थल स्तरीय समीक्षा।
- 3) 9 – 10 जुलाई, 2019 के दौरान असम राज्य में डिल्लूगढ़ डीए (1033 नए निर्माण घर) की डेस्क और स्थल स्तरीय समीक्षा।
- 4) 11–14 जुलाई 2019 के दौरान नागालैंड राज्य में तुली (577 नए निर्माण घर) परियोजनाओं की डेस्क और साइट संवीक्षा।
- 5) 11–14 जुलाई 2019 के दौरान नागालैंड राज्य में त्सेमिन्यू (95 एन्हांसमेंट हाउसिस) परियोजनाओं की डेस्क और साइट संवीक्षा।
- 6) 25–27 जुलाई, 2019 के दौरान असम राज्य में

पीएमएवाई (यू) के तहत धेमाजी एमबी (1569 नव निर्माण घर) परियोजनाओं की साइट संवीक्षा और डेस्क संमीक्षा।

- 7) 30–31 जुलाई, 2019 के दौरान पालिन, कराडाडी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में पीएमएवाई (यू) के तहत 944 आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए 17 बीएलसी (न्यू कंस्ट्रक्शन) परियोजनाओं की साइट संमीक्षा और डेस्क संमीक्षा।
- 8) 29–30 अगस्त, 2019 के दौरान हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर टाउन में लाभार्थी द्वारा स्वयं निर्माण (एनहांसमेंट) और 59 नए निर्माण के तहत 160 आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए स्थल स्तरीय समीक्षा और डेस्क संमीक्षा।
- 9) 26–27 सितंबर, 2019 के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के मंगलौर, हरिद्वार में पीएमएवाई(यू) के बीएलसी (नए) (399 आवासीय यूनिट) घटक के अंतर्गत परियोजनाओं की डीपीआर डेस्क जांच के साथ स्थल स्तरीय समीक्षा।
- 10) 14–15 नवंबर, 2019 के दौरान पीएमएवाई(यू) के बीएलसीवर्टिकल के तहत धुबरी-गौरीपुर विकास प्राधिकरण (डीजीडीए), असम में 1419 आवासीय एककों के नए निर्माण की परियोजना की डीपीआर डेस्क समीक्षा के साथ स्थल स्तरीय समीक्षा।
- 11) 16–18 नवंबर, 2019 के दौरान बीएलसीके तहत पफ्यूत्सेरो टीसी, नागालैंड में (717 आवासीय एककों के नए घर) की परियोजना की डीपीआर डेस्क समीक्षा के साथ स्थल की समीक्षा।
- 12) 16–18 नवंबर, 2019 के दौरान बीएलसीके तहत पफ्यूत्सेरो टीसी, नागालैंड में (120 एन्हांसमेंट घर) परियोजना की डीपीआर डेस्क समीक्षा के साथ स्थल की समीक्षा।
- 13) 02–05 दिसंबर, 2019 के दौरान उत्तराखण्ड के कोटद्वार में पीएमएवाई (यू) के बीएलसी घटक के तहत 380 आवासीय एककों के निर्माण के लिए परियोजनाओं की डीपीआर डेस्क समीक्षा के साथ स्थल समीक्षा।

प्रौद्योगिकी उप-मिशन

“देश की भू-जलवायुवीय एवं जोखिम दशाओं के अनुसार द्रुत और लागत प्रभावी आवास निर्माण हेतु टिकाऊ प्रौद्योगिकीय समाधान” उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “सबके लिए आवास (शहरी) मिशन” के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उप-मिशन की स्थापना की गई है। प्रौद्योगिकी उप-मिशन मकानों के द्रुत और गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु आधुनिक, नवोन्मेषी एवं हरित प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण को सुगम बनाता है। यह प्रौद्योगिकी उप मिशन, आईआईटी/एनआईटी/एसपीए के सहयोग से आपदा रोधी एवं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में राज्य/शहरों की भी मदद करता है। बीएमटीपीसी तकनीकी उप मिशन के तकनीकी सचिवालय के रूप में काम कर रहा है।

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण में नई व उभरती प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण

राज्य सरकारों के द्वारा वैकल्पिक एवं उभरती प्रौद्योगिकियां अपनाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सीपीडब्ल्यूडी, बीआईएस तथा राज्य के विभागों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वे अधिसूचनाएं, परिपत्र तथा एसओआर, विशिष्टियां लेकर आएं, जिससे राज्य सरकारें इस बात के लिए अधिकृत होंगी कि वे आवासीय परियोजनाओं में इन नई निर्माण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर सकें।

जैसाकि पहले सूचित किया गया है, सभी उपयोक्ताओं के लाभ के लिए बीएमटीपीसी के साथ परामर्श से, सीपीडब्ल्यूडी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 133/एसई(टीएएस)/डीएसआर/2019/115-एच दिनांक 12.03.2019 द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों में अपनाने के लिए 16 नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुमोदन किया है।

1. एल्युमिनियम फार्मवर्क का इस्तेताल करते हुए मोनोलिथिक कंक्रीट निर्माण प्रणाली
2. प्लास्टिक – एल्युमिनियम फार्मवर्क का इस्तेमाल करते हुए मोनोलिथिक कंक्रीट निर्माण प्रणाली
3. प्रबलित ईपीसी पैनल प्रणालियां
4. हल्के वजनी गेज शीट फ्रेमयुक्त संरचना (एलजीएसएफ)
5. शियर वाल्स, कॉलम, बीम, सेल्यूलर हल्की वजनी कंक्रीट स्लैब/अर्ध-पूर्वनिर्मित ठोस स्लैब के साथ या

उनके बिना आरसीसी पूर्वकास्ट का प्रयोग करते हुए औद्योगिकीकृत 3-एस प्रणाली

6. स्पीड फ्लोर सिस्टम
7. ग्लास फाइबर प्रबलित जिप्सम (जीएफआरजी) पैनल भवन निर्माण प्रणाली
8. कारखाने में बनी फास्ट ट्रैक माझ्यूलर भवन निर्माण प्रणाली
9. गैर एसबेस्टस फाइबर प्रबलित वातित सेंडविच दीवार ध्वन्त फर्श हल्की वजनी ठोस कोर पैनल (पूर्वनिर्मित फाइबर प्रबलित सेंडविच पैनल)
10. ईपीएस सीमेंट सेंडविच दीवार/छत/फर्श हल्की वजनी ठोस कोर पैनल (उन्नत भवन निर्माण प्रणाली-ईएमएमईडीयूई)
11. एएसी ब्लॉकों का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक चिनाई
12. उड़न राख ईटों का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक चिनाई
13. तकनीकी टैक्सटाइलों का इस्तेमाल करते हुए प्रबलित मृदा प्रौद्योगिकी
14. स्व-ठोस (कॉम्पैक्ट)कंक्रीट का उपयोग
15. कंफाइंड चिनाई का उपयोग
16. निर्माण में सी एंड डी कचरे के उत्पादों का उपयोग

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित 13 नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को भी सीपीडब्ल्यूडी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 133/एसई(टीएएस)/डीएसआर/20192376-एचआई दिनांक 17.09.2019 द्वारा अनुमोदन किया गया है।

1. उन्नत भवन प्रणाली-ईएमएमईडीयूई
2. रेपिड पैनल
3. विवक बिल्ड 3डी पैनल
4. कंक्रीट पैनल प्रणाली
5. बाऊ पैनल सिस्टम
6. फ्लाईएश ईपीएस (बीड्स) सीमेंट सेंडविच पैनल
7. कठोर ईपीएस (सेलुलर प्लास्टिक सामग्री) ब्लॉक
8. लाइट गेज स्टील फ्रेम्स संरचना इन्फिल कंक्रीट पैनल प्रौद्योगिकी के साथ
9. एसआरपीएल बिल्डिंग सिस्टम (वफल-क्रेटे)
10. प्रीकास्ट लार्ज कंक्रीट पैनल सिस्टम
11. वॉलटेक हॉलो कोर कंक्रीट पैनल
12. रोबोमेटिक हॉलो कंक्रीट वॉल पैनल
13. स्टेम्पिंग कंक्रीट

अभी तक, सीपीडब्ल्यूडी ने आवास और निर्माण के लिए 29 नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुमोदन किया है।

वैशिक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत (जीएचटीसी-भारत)

बीएमटीपीसी ने दिल्ली में 14 जनवरी, 2019 को वैशिक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत को लांच करने के लिए और वैशिक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती – भारत (जीएचटीसी-भारत) का मुख्य आयोजन, जो 2-3 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ, के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की। जीएचटीसी-भारत के अंतर्गत भविष्य की संभावित टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ प्रमाणित, नवोन्मेष और वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियों को शार्टलिस्ट किया गया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) के भाग के रूप में, बीएमटीपीसी ने प्रमाणित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के तकनीकी विवरण तैयार किए हैं। टीईसी द्वारा छह प्रमुख श्रेणियों में जीएचटीसी इंडिया के तहत 54 प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को अब लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के निष्पादन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। ये एलएचपी नवोन्मेष और

हरित निर्माण पद्धतियां स्थापित करने के लिए पूरे भारत में सक्रिय प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करेंगी और सतत स्थायी रहने वाले निर्माण के कार्य में इनसे मदद मिलेगी। परिषद को मंत्रालय द्वारा तकनीकी भागीदार के रूप में अभिहित किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ रूप से समन्वय करते हुए एलएचपी के कार्यान्वयन के लिए नामित किया गया है। जीएचटीसी-भारत के अंतर्गत, किफायती टिकाऊ आवास त्वरक (आशा)-भारत के माध्यम से अभिज्ञात की गई क्षमतावान भावी तकनीकों को इनक्यूबेट और एक्सीलरेट करने की भी योजना बनाई गई है।

उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए लाइट हाउस परियोजनाएं

जीएचटीसी-इंडिया के अंतर्गत शार्टलिस्ट की गई छह प्रमुख श्रेणियों में से प्रत्येक विशिष्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में छह स्थानों पर सभी छह लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) को सौंपे जाने



3 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में तत्कालीन महानिदेशक, सीपीइल्यूडी की अध्यक्षता में जीएचटीसी-इंडिया के तहत एक्सीलरेशन और इन्व्यूबेशन समर्थन के लिए नवोन्मेषकों का चयन करने के लिए गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की बैठक

III. राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) का क्रियाव्ययन

मंत्रिमंडल के अनुमोदन से, बीएमटीपीसी में एक राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) सृजित की गई है जो ऋणदायी एजेंसियों या वित्तीय संस्थानों से ऋण एकत्र कर रही हैं। एनयूएचएफ के लिए ईबीआर के माध्यम से जुटाई गई निधि को बीएमटीपीसी को ऋण के रूप में प्रदान किया जा रहा है ताकि वह राज्य/केंद्र शासित सरकारों को केंद्रीय सहायता के रूप में और अपने मंत्रालय के आदेशों के अनुसार मिशन के सीएलएसएस घटक के अंतर्गत सीएनए को आर्थिक सहायता के रूप में संवितरित कर सके।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, एनएसएसएफ से ईबीआर के रूप में 15,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त

हुई है और यह राशि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मंजूरी पत्रों के अनुसार संवितरित कर दी गई है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, ईबीआर पर ब्याज के भुगतान के लिए 3084 करोड़ (लगभग) प्राप्त हुए हैं और हुड़को और एनएसएसएफ को इसका संवितरण कर दिया गया है।

इसी प्रकार, मार्च 2018 से मार्च 2020 तक एनएसएसएफ और हुड़को से ईबीआर के रूप में क्रमशः रुपये 23,000 करोड़ और रुपये 20,000 करोड़ (कुल 43,000 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए हैं और यह राशि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मंजूरी पत्रों के अनुसार संवितरित कर दी गई।



पीएमएवाई-यू के तहत याज्यों को केंद्रीय सहायता के तौर पर ईबीआर से 5000 करोड़ रुपये जारी करने के संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर



3 मई, 2019 को नई दिल्ली में भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा सेची डिजाइन और निर्माण पद्धतियों पर विषयगत कार्यशालाएं



4 जून, 2019 को ईआईएल परिसर गुरुग्राम में भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा सेची डिजाइन और निर्माण पद्धतियों पर विषयगत कार्यशालाएं



11 सितंबर 2019 को पुडुचेरी में माननीय मुख्यमंत्री, पुडुचेरी और सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा शोधी डिजाइन एवं निर्माण पद्धतियों पर विषयगत कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए





18 जनवरी 2020 को मेकॉन कैपस, रांची में भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी डिजाइन एवं निर्माण पद्धतियों पर विषयगत कार्यशाला एँ

120 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 11 सितंबर, 2019 को पुडुचेरी में नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के सहयोग से भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी डिजाइन एवं निर्माण पद्धतियों पर तीसरी विषयगत कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री, पुडुचेरी और सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में राज्य सरकार, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन कॉलेजों के चार्टिड इंजीनियरों, संकाय सदस्यों और छात्रों और ठेकेदारों और वास्तुविदों आदि 250 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया।
- 18 जनवरी 2020 को रांची में मेकॉन लिमिटेड के इंजीनियरों, डिजाइनरों और योजनाकारों के लिए भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी डिजाइन एवं निर्माण पद्धतियों पर चौथी विषयगत कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 22 फरवरी, 2020 को आईआईटी कैम्पस, तिरुपति में भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी डिजाइन एवं निर्माण पद्धतियों पर पाँचवीं विषयगत कार्यशाला का आयोजन आईआईटी तिरुपति के साथ

मिलकर किया गया। इस कार्यक्रम में आईआईटी तिरुपति सहित विभिन्न इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 3 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी डिजाइन एवं निर्माण पद्धतियों पर छठी विषयगत कार्यशाला का आयोजन विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, डिजाइनरों और अन्य हितधारकों के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकार आदि के 90 से भी अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं को बीएमटीपीसी; भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई; सीएसआईआर-एसईआरसी, चेन्नई; जल विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की; और केंद्रीय जल आयोग के व्याख्याताओं ने संबोधित किया।



22 फरवरी 2020 को आईआईटी तिळपति में भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा शोधी डिजाइन एंव निर्माण पद्धतियों पर विषयगत कार्यशालाएँ



3 मार्च 2020 को नई दिल्ली में भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा शोधी डिजाइन एंव निर्माण पद्धतियों पर विषयगत कार्यशालाएँ

2. भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-पाठ्यक्रम

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु हितधारियों की बेहतर तैयारी के लिए भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसे दृष्टिगत रखते हुए, बीएमटीपीसी और योजना तथा वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), दिल्ली ने

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-पाठ्यक्रम का विकास किया है।

29 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-पाठ्यक्रम



29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-पाठ्यक्रम की शुरूआत की।



की उद्घोषणा की। भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-पाठ्यक्रम की शुरुआत “निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष (2019–20)” के अंतर्गत एक गतिविधि के रूप में की गई है जिसके संबंध में 2 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित वैशिक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती दृभारत के अंतर्गत निर्माण प्रौद्योगिकी भारत 2019: प्रदर्शनी—एवं—सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी।

यह ई-पाठ्यक्रम योजना तथा वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), दिल्ली और निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी), नई दिल्ली दोनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस पर इस ई-पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण एसपीए की बैबसाइट www.spa.ac.in और ecourse.bmtpc.org के माध्यम से किया जाता है। यह एक बुनियादी ई-लर्निंग पाठ्यक्रम है जिससे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाती है और उन्हें समझा जाता है, विभिन्न आपदाओं (भूकंप, तूफान, भू-स्खलन, बाढ़ आदि) के संबंध में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है और विद्यमान आवासों को होने वाली क्षति की जोखिमों के स्तर के बारे में जिला—वार जानकारी का इसमें उल्लेख है। यह ई-पाठ्यक्रम वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग, शहरी व क्षेत्रीय योजना तथा आवास एवं अवसंरचना योजना, निर्माण इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन और निर्माण एवं सामग्री अनुसंधान के क्षेत्र में आपदा शमन व प्रबंधन के लिए एक प्रभावी और सक्षम साधन होगा। अब तक, 314 व्यक्ति ई-पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं जिसमें 43 व्यक्तियों ने यह पाठ्यक्रम पहले ही पूरा कर लिया है।

बीएमटीपीसी विभिन्न हितधारकों और विभागों से अपने इंजीनियरों और वास्तुकारों को इस पाठ्यक्रम को करने के लिए आवश्यक दिशा—निर्देश देने के लिए लगातार अनुरोध कर रहा है। इसके अलावा, भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस का निविदाओं में समावेश करने के लिए एक वाक्य—खण्ड तैयार किया जा रहा है जिसे आपदा रोधी निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की परियोजनाओं में शामिल किया जा सकता है।

3. भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस के संबंध में डेटा साझा करना

परिषद ने भूकंप, तूफान/चक्रवात, बाढ़ इत्यादि के संबंध में विभिन्न मूलभूत मानचित्रों को डिजिटाइज करके आर्क—जीआईएस (ArcGIS) प्लेटफॉर्म पर भारत की

अतिसंवेदनशीलता एटलस तैयार की है। इसके अतिरिक्त, आंकड़ा—समूहों से भूस्खलन की घटनाओं के मानचित्र और तड़ित वृष्टि के मानचित्र बनाए गए। इन मानचित्रों में अब संबंधित खतरों और संबद्ध जानकारी के लिए कई परतें शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय (सेना), सैन्य सर्वेक्षण प्रभाग के एकीकृत मुख्यालय ने अपनी परियोजनाओं में उपयोग के लिए जोखिमों की परतों की शेष फाइलों को साझा करने के लिए बीएमटीपीसी से अनुरोध किया था। रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय को भू—स्थानिक मामलों में सलाह देने की अपनी भूमिका के रूप में सैन्य सर्वेक्षण विभाग लगातार प्राकृतिक आपदाओं के मानचित्रण के संबंध में भू—स्थानिक जानकारी को अद्यतन कर रहा है।

आपदा प्रबंधन इकाई, राहत और पुनर्वास विभाग, महाराष्ट्र सरकार के लिए विभागों की आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर रही है। इसके लिए उन्होंने बीएमटीपीसी से महाराष्ट्र राज्य के लिए आपदा परतों की जीआईएस शेष फाइलों, जैसा कि भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस के तीसरे संस्करण में उल्लेख है, को साझा करने का अनुरोध किया था।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सहभागी राज्यों अर्थात हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित जीआईएस डेटाबेस के लिए अनुरोध किया था क्योंकि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना – 2041 तैयार कर रहे हैं।

जोखिमों परतों को शेयर करने के महत्व को देखते हुए, निम्नलिखित फाइलों साझा की गई थीं:

1. भूकंप के खतरे के नक्शे दृशेष फाइलें
2. आधी/चक्रवात जोखिम मानचित्र – शेष फाइलें
3. बाढ़ की जोखिम के नक्शे – शेष फाइलें
4. भूस्खलन घटना मानचित्र – डेटाबेस फाइल
5. तड़ित वृष्टि घटना मानचित्र – डेटाबेस फाइल
6. जोखिम तालिकाएँ – एक्सेल फाइल

भारत में आपदा संभावित क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों को साझा करने से इन संगठनों को प्राकृतिक आपदा मानचित्रण के क्षेत्र में मदद मिली है।

V. निर्माण क्षेत्र में सूचना और डाटाबेस आधार का सुदृढ़ीकरण

1. निर्माण सारिका- बीएमटीपीसी न्यूजलैटर के विशेषांक का प्रकाशन

विगत वर्षों की भाँति, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने विश्व पर्यावास दिवस 2019 मनाया। इस अवसर पर बीएमटीपीसी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा चुने गये “अग्रणी प्रौद्योगिकी : अपशिष्ट से संपदा अंतरण का नवोन्मेषी टूल” विषय पर अपने न्यूजलैटर “निर्माण सारिका” का विशेषांक प्रकाशित किया। इस विशेषांक में विश्व पर्यावास दिवस के विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसके साथ ही साथ परिषद के क्रियाकलापों को प्रमुखता से दर्शाया गया। माननीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 04 अक्टूबर, 2019 को आयोजित विश्व पर्यावास दिवस समारोह के अवसर पर निर्माण सारिका का लोकार्पण किया।

2. मानकीकरण एवं उत्पाद मूल्यांकन

निष्पादनता मूल्यांकन प्रमाणीकरण योजना (पीएसीएस)

विगत बीएमटीपीसी द्वारा चलाई जा रही निष्पादनता मूल्यांकन प्रमाणीकरण योजना (पीएसीएस) (भारत का गजट सं. 49 दिनांक 4 दिसंबर, 1999 में गजट अधिसूचना सं. I&16011/5/99 H&II) किसी उत्पाद के विनिर्माताओं या संस्थापकों को मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया के पश्चात निष्पादन मूल्यांकन प्रमाण पत्र (पीएसी) प्रदान करने के लिए एक तृतीय पक्षीय स्वैच्छिक योजना है। उत्पाद में सम्मिलित हैं : निर्माण सामग्री, उत्पाद, संघटक, तत्व एवं प्रणालियां आदि।

चूंकि यह योजना ऐसे उत्पादोंध्रणालियों के लिये चलाई जा रही है जिनके संबंध में कोई प्रासंगिक भारतीय मानक उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि सबसे पहले निष्पादनता मूल्यांकन के लिये अपेक्षित संहिताओं पर काम किया जाए। उन मदों के लिए, जहां भारतीय संहिताएं उपलब्ध नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों का भी संदर्भ लिया जा रहा है। कुछ मामलों में विनिर्माताओं द्वारा संस्तुत विशिष्टियों को गुणवत्ता एवं निष्पादनता में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के आधार पर संशोधित किया जाना है।

विभिन्न राज्य, उनके आवास बोर्ड एवं अन्य विभाग भी अपने राज्यों में वृहत स्तर पर आवास के निर्माण हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों एवं सामग्रियों को बढ़ावा दे रहे हैं एवं उनका उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, पीएसीएस वृहत आवास में उभरती प्रौद्योगिकियों की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

पीएसीएस का अनुमोदन

निष्पादनता मूल्यांकन प्रमाण-पत्र (पीएसी) के अनुमोदन के प्रयोजन के लिए गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) ने 17 दिसम्बर, 2019 को आयोजित अपनी 16वीं बैठक में निम्नलिखित नए उत्पादोंध्रणालियों के लिए पीएसीएस जारी करने का अनुमोदन किया है:

- एकीकृत हाइब्रिड समाधान – एक (आईएचएस – एक)
- बांस की लकड़ी का फर्श
- स्थायी दीवार फोर्मस
- स्ट्रैंड बुने बांस की लकड़ी की फर्श टाइलें और दीवार पैनल
- अपोलो चौखट दरवाजा और खिड़की फ्रेम सेक्शन
- बांस की लकड़ी के फर्श और दीवार क्लेडिंग
- इलास्टोमेरिक पेटेबल प्लास्टर

पीएसीएस के नवीकरण का अनुमोदन

टीएसी की 17 दिसम्बर, 2019 को आयोजित 16वीं बैठक में निम्नलिखित आठ प्रणालियोंउत्पादों के लिए पीएसीएस का नवीकरण करने का अनुमोदन किया:

- एकीपीवीसी प्रोफाइल दरवाजा
- भूमिगत जल भंडारण टैंक (सम्प)



17 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में निष्पादनता मूल्यांकन प्रमाणपत्र (पीएसी) की तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) की 16 वीं बैठक

- iii. स्टील संरचना के साथ सतत सैंडविच (पीयूएफ) पैनल
- iv. पीआईआर ड्राई वॉल प्रीफैब पैनल सिस्टम
- v. साउंड प्रूफ इनेज पाइपिंग सिस्टम
- vi. पूर्वनिर्मित फाइबर प्रबलित सैंडविच पैनल
- vii. कंक्रीट फोर्मस को इन्सुलेट करना
- viii. राइजिंग ईपीएस (बीड़स) सीमेंट पैनल्स

पीएसी जारी करने हेतु प्रक्रियाधीन आवेदन

निम्नलिखित नए उत्पादों/प्रणालियों के लिए प्रारंभिक आवेदन (पीए) निर्माताओं से प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर उनके आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत आवेदन पत्र (डीएएफ) जारी किए जा रहे हैं :

- i. कोनेक प्रीकास्ट वॉल पैनल्स
- ii. बाहरी ड्राईवॉल सिस्टम
- iii. इंसूलेटिड सैंडविच पैनल (ग्लेमेट)
- iv. इंसूलेटिड सैंडविच पैनल (मोनोवाल)
- v. इंसूलेटिड सैंडविच पैनल (सुपर दीवार)
- vi. इंसूलेटिड सैंडविच पैनल (हाइपरटेक छत)
- vii. इंसूलेटिड सैंडविच पैनल (हाइपरटेक दीवार)
- viii. हाइब्रिड बिल्डिंग बॉडीगार्ड (तुरन्त उपयोग के लिए तैयार प्लास्टर)

- ix. एलजीएसएफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स और बिल्डिंग के रूप में सभी फिनिश के साथ साइट पर इरेक्शन
- x. डालमिया मैजिक प्रीमियम स्किम कोट
- xi. रेपीकोन वाल पैनल्स और पूर्व-निर्मित स्टील संरचनाएं

निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र (पीएसी) तैयार करने से पहले, उपर्युक्त आवेदनों पर फर्मा द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं, उनकी वेब साइटों पर उपलब्ध जानकारी, कार्य स्थल पर विनिर्माण संयंत्रों के निरीक्षण और उत्पादों/प्रणालियों के नमूनों के परीक्षण आदि के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

बीआईएस की अनुभागीय समितियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करना

पीएसीएस के अलावा, यह परिषद सिविल इंजीनियरिंग जैसे सीमेंट और कंक्रीट फ्लोरिंग, वॉल फर्निशिंग और छत सामग्री भूकम्प इंजीनियरिंग, आवास पूर्व निर्मित निर्माण य पहाड़ी क्षेत्र विकासय राष्ट्रीय भवन संहिताय आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर भारतीय मानकों के निरूपण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न अनुभागीय समितियों को तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहा है।

3. परिषद् की वेबसाइट के माध्यम से सूचना का प्रसार

परिषद् की वेबसाइट (www.bmtpc.org) को विश्व स्तर पर पेशेवरों और अन्य लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। इसका उपयोग नवोन्मेषी निर्माण सामग्रियों और निर्माण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक संदर्भ संसाधन के रूप में किया जा रहा है। परिषद् की वेबसाइट सभी के लिये किफायती आवास के लिए सामर्थ्यकारी वातावरण तैयार करने के अपने कार्यादेश के अनुरूप वैकल्पिक और उभरती निर्माण सामग्रियों और निर्माण पर एक कोष के रूप में कार्य करती है। परिषद् की वेबसाइट को राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार हिंदी (hindi.bmtpc.org) में भी विकसित किया गया है।

बीएमटीपीसी की वेबसाइट पर उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सामान्य पूछताछ के रूप में हमेशा अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त होती रही है। परिषद् की वेबसाइट को किराया एवं क्रय अपेक्षाओं, निविदा सूचनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा समय—समय पर यथा अपेक्षित अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त नवीनतम तकनीकी सूचना से नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

यह परिषद अन्य गतिविधियों सहित नवोन्मेषी निर्माण सामग्री और आपदा रोधी प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (टिवटर: [@bmtpcdelhi](https://twitter.com/bmtpcdelhi); फेसबुक: [@bmtpcmhua](https://www.facebook.com/bmtpcmhua); YouTube: BMTPC) का उपयोग भी कर रही है।

The screenshot shows the BMTPC website homepage. At the top, there's a banner for the 'E-COURSE ON VULNERABILITY ATLAS OF INDIA'. Below it, there are several sections: 'Building Materials & Construction Technologies', 'Disaster mitigation and management', 'Capacity Building & Skill Development', and 'Project management and consultancy'. There are also links to 'Latest News (Listed)', 'ProjectCafe', 'Photo Gallery', and 'Video Library'. The footer contains the text 'Creating enabling environment for Affordable Housing for All... since 1990'.

This screenshot is identical to the one above, showing the BMTPC website homepage with the same sections and layout, including the 'E-COURSE ON VULNERABILITY ATLAS OF INDIA' banner.



www.bmtpc.org
hindi.bmtpc.org
bmtpc.mhua
[@bmtpcdelhi](https://twitter.com/bmtpcdelhi)

The screenshot shows the BMTPC social media presence. On the left, the Twitter feed (@bmtpc) shows a post about World Habitat Day 2020. On the right, the Facebook page shows a post about the release of publications by Shri Hardeep Singh Puri, Hon'ble Minister of State (I/C) for Housing & Urban Affairs during the World Habitat Day 2020 held on 5th October, 2020 at New Delhi.

VI. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवर्धनात्मक एवं क्षमता निर्माण गतिविधियां

1. लखनऊ में पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत “समृद्ध आवास में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रयोग” पर संवेदी कार्यक्रम का आयोजन

बीएमटीपीसी विभिन्न राज्यों में नियमित रूप से उचित निर्माण पद्धतियों के क्षेत्र में इंजीनियरों और वास्तुविदों को संवेदी बनाने के लिए और उन्हें पीएमएवाई(शहरी) और राज्य/केन्द्रीय सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए आवास निर्माण के क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों से परिचित कराने के लिए संवेदनशीलीकारक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

इस श्रृंखला में, पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत वृहत स्तर पर आवास निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर एक संवेदीकरण कार्यक्रम 17 जून, 2019 को लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन बीएमटीपीसी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एसयूडीए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जोकि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) है, के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के शहरी स्तर के तकनीकी प्रकोष्ठ में कार्यरत विभिन्न

यूएलबी और इंजीनियरों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम के दौरान, सहभागियों को नई प्रौद्योगिकी अर्थात लखनऊ में प्रदर्शन आवास परियोजना में प्रयोग की गई “स्टे इन प्लेस” ईपीएस आधारित दोहरी दीवार युक्त प्रणाली के लाभों के बारे में अवगत कराया गया था।

दोहरी दीवार वाली ईपीएस पैनल आधारित प्रणाली का प्रयोग करते हुए बीएमटीपीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही औरंगाबाद जागीर, लखनऊ में प्रदर्शन आवास परियोजना के स्थल दौरे का आयोजन कार्यक्रम के सहभागियों के लिए किया गया था ताकि वे सक्रिय परियोजना के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी हांसिल कर सकें और इस प्रौद्योगिकी के लाभों के बारे में उन्हें बताया जा सके।

2. हैदराबाद में उड़न राख के प्रयोग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

17–18 दिसंबर, 2019 तक सेंटर फॉर फ्लाई ऐशा रिसर्च एंड मैनेजमेंट (सी-एफएआरएम), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), भारत सरकार और दि सिंगरेनी



17 जून 2019 को लखनऊ में पीएमएवाई (शहरी) के तहत बड़े पैमाने पर आवास की नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर संवेदी कार्यक्रम

कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के सहयोग से पी.जे. तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (पीजेटीएसएयू), हैदराबाद में कृषि, वानिकी और अन्य अनुप्रयोगों में फ्लाई ऐश के उपयोग पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

निर्माण उद्योग में उभरती फ्लाई ऐश प्रौद्योगिकियों, जैसे कि टिकाऊ उच्च प्रदर्शन कंक्रीट के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग, सीमेंट के अत्यधिक प्रतिस्थापन के लिए सिलिकायुक्त फ्लाई ऐश का चूना सक्रियण, खतरनाक अपशिष्टों आदि के उपचार के लिए उड़न राख आधारित जियो पोलीमर्स के अनुकूलन विषय पर आयोजित इस सम्मेलन के दौरान फ्लाई ऐश के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ निर्माण सामग्री पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

इस 2-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में पूरे देश के सहभागियों ने भाग लिया था और कई विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था। इससे शोधकर्ताओं और छात्रों को कैरियर की शुरुआत में कार्यरत कार्यकारियों और वैज्ञानिकों / नीति निर्माताओं से लेकर क्षेत्र के वरिष्ठतम विशेषज्ञों के साथ अपने अनुभवों को शेयर करने और उन्हें उनके वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों के बारे उत्तर जानने और उड़न राख के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विचार करने के लिए एक मंच उपलब्ध हुआ। सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किए गए तकनीकी आलेखों और मामला अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि फ्लाई ऐश के प्रत्येक प्रकार के उपयोग से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, पर्यावरण की सुरक्षा होती है, रोजगार सृजन और राष्ट्रीय जीड़ीपी में योगदान देने वाली व्यावसायिक गतिविधि में वृद्धि होती है।

3. टिकाऊ निर्माण के लिए उड़न राख और सी एंड डी उत्पादों का प्रयोग' पर मुंबई में कार्यशाला का आयोजन

21 जनवरी, 2020 को मुंबई में सेंटर फॉर फ्लाई ऐश रिसर्च एंड मैनेजमेंट (सी-एफएआरएम) और केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के सहयोग से 'टिकाऊ निर्माण के लिए उड़न राख और सी एंड डी उत्पादों का प्रयोग' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में निर्माण अभिकरणों, आवासीय



21 जनवरी 2020 को मुंबई में स्तरत-स्थायी निर्माण के लिए फ्लाई ऐश और सी एंड डी उत्पादों के उपयोग पर कार्यशाला

बोर्डों, सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए, नगर पालिकाओं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कई वरिष्ठ विशेषज्ञ अपनी समृद्ध विशेषज्ञता और अनुसंधान, क्षेत्र अनुप्रयोगों और केस अध्ययन के अनुभव को साझा करने के लिए आगे आए। नीति निर्माताओं और विनियामक निकाय अधिकारियों ने भी अपने अनुभव और दृष्टिकोण को साझा किया।

पर्यावरण के अनुकूल और लाभकारी तरीके से फ्लाई ऐश के उपयोग के साथ-साथ प्रसंस्करण और सी एंड डी कचरे के उपयोग करने हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए निरंतर आवश्यकता बनी रहती है। क्षेत्र के अनुभव और प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर विकास को ध्यान में रखते हुए वैधानिक प्रावधान और नियामक तंत्र भी विकसित करना जारी है। देश में फ्लाई ऐश का उपयोग 1% के अल्प स्तर से बढ़कर लगभग 66% के स्तर तक पहुँच गया है, इसे 100% के स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। उच्चतर उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों और वैधानिक प्रावधानों में पिछले कुछ दो वर्षों में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। इसी प्रकार, सतत विकास के लिए सी एंड डी कचरे के पुनः उपयोग और प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए कई तकनीकों के साथ-साथ विनियामक तंत्र की सुविधा विकसित हुई है।

इस कार्यशाला में एनसीसीबीएम द्वारा कंक्रीट में फ्लाई ऐश एंड सी एंड डी अपशिष्ट का उपयोग, आईआईटी बम्बई द्वारा रेलवे तटबंध में स्ट्रक्चरल-फिल के रूप में फ्लाई ऐश अनुप्रयोग, सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फ्लाई

ऐसे आधारित उन्नत जियोपोलीमर कंक्रीट का उपयोग आदि, तकनीकी आलेख शामिल रहे।

4. किफायती टिकाऊ आवास त्वरक-भारत (आशा-भारत) के लिए त्वरक कार्यशाला का आयोजन

28–29 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में जीएचटीसी-भारत के अंतर्गत मंत्रालय के नॉलेज पार्टनर के रूप में परिषद द्वारा डब्ल्यूआरआई इंडिया के साथ संयुक्त रूप से किफायती सतत स्थायी आवास त्वरक-भारत (आशा-भारत) के लिए त्वरक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आशा-भारत, जो कि जीएचटीसी-भारत का एक उप-घटक है, का कार्यान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कार्यशील और उपयुक्त उत्पाद से युक्त सक्षम भावी प्रौद्योगिकियों, जिन्हें अपने उत्पादों को निर्माण तंत्र एंव अवयवों के बाजार की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए त्वरक की आवश्यकता हो, प्राकृतिक संसाधनों की उपयोग दक्षता उन्नयन करती हो, स्वयं सहायता नवोन्नेष और आवास

क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को आमंत्रित किया गया था।

02–03 मार्च, 2019 को आयोजित जीएचटीसी निर्माण प्रौद्योगिकी भारत (सीटीआई) प्रदर्शनी-एवं-सम्मेलन के दौरान कुल 57 संभावित प्रौद्योगिकी आवेदकों जैसे व्यक्तियों, स्टार्ट-अप्स और युवा उद्यमियों, अनुसंधान एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और इसी प्रकार के अन्य संगठनों ने ज्यूरी के पैनल के समक्ष प्रस्तुति दी। जीएचटीसी-भारत के प्रयोजन से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा बाद में उनका मूल्यांकन किया गया। इन आवेदकों में से, टीईसी ने त्वरक श्रेणी के अंतर्गत 31 आवेदकों और इनक्यूबेशन श्रेणी के अंतर्गत 11 आवेदकों को चुनकर सूचीबद्ध किया।

त्वरक कार्यशाला के दौरान, त्वरक श्रेणी के अंतर्गत 31 आवेदकों में से शीर्ष 10 को आमंत्रित किया गया और नेटवर्क बनाने के लिए द्रुत और रणनीतिक शिक्षण और अवसर प्रदान किए गए ताकि उनके उत्पादध्रोदौगिकियां बाजार सुलभ और निवेशकों के लिए आकर्षक बन सकें। इस कार्यशाला में सरकारी खरीद एजेंसियों, प्रमाणन और



28–29 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में जीएचटीसी-भारत के अंतर्गत किफायती टिकाऊ आवास त्वरक - भारत (आशा - भारत) के लिए त्वरक कार्यशाला

मानकीकरण एजेंसियों, बिल्डरों और डेवलपर्स, एंजल निवेशकों, उद्यम पूँजीपतियों और अनुसंधान और विकास संस्थानों (आईआईटी और सीएसआईआर प्रयोगशालाएं) जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ संभावित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं द्वारा परस्पर विमर्श किया गया। कार्यशाला के दौरान “मीट द कोहार्ट” नामक एक ब्रोशर का विमोचन किया गया था और चुने गए 10 नवोन्नेषों के अंतिम कोहोर्ट को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

5. 6 एलएचपी की संविदाकारी एजेंसियों के लिए एलएचपी की गीन ऐटिंग हेतु टीईआरआई के साथ ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन

जीएचटीसी-भारत के अंतर्गत लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) को जीआरआईएचए किफायती आवासीय मानकों की रेटिंग 3 की अपेक्षाओं के साथ डिजाइन और निर्माण किया जाना है, ताकि सतत स्थायी निर्माण के संदर्भ में परियोजनाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सके। इसके अनुसार, बीएमटीपीसी ने टीईआरआई के सहयोग से 17 जनवरी 2020 को बीएमटीपीसी कार्यालय, नई दिल्ली में एलएचपी संविदाकारी एजेंसियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया।



17 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में जीआरआईएचए किफायती आवास मानकों की ऐटिंग 3 की अपेक्षाओं पर एलएचपी संविदाकारी अभियंताओं के लिए परिचयकारी कार्यशाला

हरित विशेषताओं का समावेश करने के दृष्टिकोण से निर्माण से पहले का चरण महत्वपूर्ण होता है, अतः यह ओरिएंटेशन/परस्पर-संवाद कार्यक्रम परियोजना के नियोजन चरण के दौरान ही रखा गया था। हरित विशेषताओं के सभी पहलुओं, रेटिंग के लिए इसके लाभों और कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया गया था और एजेंसियों के विशेष पूछताछ के उत्तर दिए गए।

6. इंफाल, मणिपुर में आवास और निर्माण के लिए बांस संरचनाओं पर विषयागत कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

मणिपुर राज्य बांस मिशन, मणिपुर सरकार और दक्षिण एशिया बांस फाउंडेशन (एसएबीएफ), गुवाहाटी के साथ मिलकर से बीएमटीपीसी ने 18-22 सितंबर, 2019 तक इंफाल, मणिपुर में “बांस के साथ निर्माण” पर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। आवास और भवन निर्माण में बांस के उपयोग पर आयोजित यह कार्यशाला निर्माण अभियंताओं, वास्तुकारों, परामर्शदाताओं, बिल्डरों/डेवेल्परों, परामर्शदाता प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों, उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों, ठेकेदारों आदि के लिए

आयोजित की गई थी।

आवास और भवन निर्माण में बांस के उपयोग की क्षमता और संभावना को ध्यान में रखते हुए, बांस प्रौद्योगिकी से अवगत कराने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बांस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बांस के बारे में जागरूकता और सतत विकास के लिए इसके महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनाय निर्माण के क्षेत्र में मानव संसाधनों का सुजन करनाय व्यावहारिक अनुप्रयोग स्थलों पर हो रहे कार्यों और निर्माण की विभिन्न प्रौद्योगिकियों से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराना और पूरे क्षेत्र में बांस उद्यमियों और कौशल श्रमिकों को बढ़ावा देना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यप्रणाली में ऐसिद्धांत और व्यावहारिक प्रदर्शन दोनों को शामिल किया गया था जिसमें आधारभूत निर्माण प्रक्रिया में शामिल सभी तकनीकों को शामिल किया गया है जैसे कि बांस के मूल भौतिक गुण



और इसके संरचनात्मक व्यवहारय निर्माण में किसी बांस का चयन करने के लिए उपयुक्त तकनीकय कटाई और बांस की संरक्षक तकनीकय विभिन्न प्रकार के जुड़ने वाले सिस्टमय जोड़ने वाली सामग्रीय बुनियादी प्लिंथ तैयारी तकनीक और निर्माण गतिविधियों से संबंधित विषय आदि।

इस कार्यक्रम के लिए व्याख्यातागण एसएबीएफ, बीएमटीपीसी, मणिपुर राज्य बांस मिशन, राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एसएफआरआई) ईटानगर, एनआईटीइंफाल से थे। 5-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल में विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों द्वारा एक बस आश्रय का निर्माण भी किया गया था।

7. नई दिल्ली में राजभाषा पर कार्यशाला का आयोजन

जीएचटीसीबीएमटीपीसी द्वारा नई दिल्ली में दो राजभाषा



18-22 सितंबर 2019 तक इम्फाल, मणिपुर में बांस से भवन निर्माण पर विषयगत कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यशालाओं का आयोजन किया। एक कार्यशाला 03 अप्रैल, 2019 को और दूसरी 14 जनवरी, 2020 को आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला को श्री सुरेश चन्द्र चतुर्वेदी, सहायक निदेशक, राजभाषा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और श्रीमती किरण भारद्वाज, परामर्शदाता, राजभाषा ने भी संबोधित किया।

सहायक निदेशक, राजभाषा ने बीएमटीपीसी द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। इन कार्यशालाओं के दौरान, परिषद में हिंदी भाषा में कार्य करने में अधिकारियों व कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया एवं कार्यालय के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित आसान तरीके समझाये गये।

8. विश्व पर्यावास दिवस 2019 समारोह

विश्व पर्यावास दिवस 2019 समारोह के एक भाग के रूप में, बीएमटीपीसी द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए तीन श्रेणियों (1) मानसिक रूप से विकलांग (2) बधिर एवं

(3) नेत्रहीन बच्चों की श्रेणियों में "अग्रणी प्रौद्योगिकियां: अपशिष्ट से सम्पदा अंतरण का नवोन्मेष टूल" विषय पर चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

बीएमटीपीसी को 15 विशेष विद्यालयों से 210 चयनित प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। बीएमटीपीसी की जूरी ने पुरस्कार हेतु 16 सर्वोत्तम प्रविष्टियों का चयन किया। 4 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावास दिवस, 2019 के समारोह में श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने विजेता प्रविष्टियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

बीएमटीपीसी ने विश्व पर्यावास दिवस, 2019 के विषय "अग्रणी प्रौद्योगिकियां : अपशिष्ट से सम्पदा अंतरण का नवोन्मेष टूल" पर न्यूजलेटर "निर्माण सारिका" के विशेषांक का प्रकाशन किया। इस प्रकाशन का लोकार्पण विश्व पर्यावास दिवस, 2019 के समारोह के दौरान श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया।



4 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर बीएमटीपीसी द्वारा प्रकाशित निर्माण सारिका के विशेषांक का लोकार्पण करते हुए।



4 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (लघुतंत्र प्रभार) विश्व पर्यावास दिवस के दैरान बीएमटीपीसी द्वारा आयोजित दिव्यांग बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता प्रविस्तियों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए



श्री दुर्गा शंकर मिश्र, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में 4 अक्टूबर 2019 को विश्व पर्यावास दिवस के दैरान बीएमटीपीसी द्वारा आयोजित दिव्यांग बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए

VII. प्रौद्योगिकी विकास, प्रसार एवं अंतरण

1. उभरती आवास प्रौद्योगिकियों की पहचान एवं मूल्यांकन

भारतीय भू-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल यथोचित प्रौद्योगिकियों की पहचान करने, मूल्यांकन करने एवं संवर्धन करने के लिए परिषद विश्वभर में अपनाई गई वैकल्पिक निर्माण पद्धतियों का नियमित रूप से मूल्यांकन कर रहा है। इस प्रक्रिया में, वर्ष के दौरान निम्नलिखित ऐसी प्रौद्योगिकियों का आकलन किया गया और प्रमाणित किया गया जिनमें देश में बहुत स्तर पर आवास निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना दिखाई देती है :

समाकलित/संकर समाधान – वन

आईएचएस–वन एक मध्यवर्ती भवन प्रणाली (आईबीएस) है जिसके तीन मुख्य घटक हैं: दीवारें, फर्श/छत और सीढ़ियाँ। सभी 3 घटकों को एक इमारत बनाने के लिए एकीकृत किया जाता है और इसलिए इसे "एकीकृत संकर समाधान – वन" कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित का एकीकरण है :

दीवारें: हाइड्रॉ फोर्म पूर्वनिर्मित मोर्टारलेस इंटरलॉकिंग प्रौद्योगिकी। इंटरलॉकिंग ब्लॉक एक खुले शेड में ब्लॉक बनाने की मशीन द्वारा अन्य स्थल या भवन निर्माण स्थल पर ही निर्मित होते हैं। ये ब्लॉक सीमेंट-फ्लाई एश-रेट या सीमेंट-मिट्टी के हो सकते हैं।

फर्श/छत: यंत्रीकृत पूवः-निर्मित आर.सी. प्लांक एवं



समाकलित/संकर समाधान – वन

जोइस्ट सिस्टम: आरसी प्लांक के साथ-साथ जॉइस्ट भी आंशिक रूप से ऑफ साइट या साइट पर पूर्व निर्मित होते हैं। फर्श/छत के रूप में रखने के बाद हंच को इन-सीटू कंक्रीट से भर दिया जाता है। हंच भराव के साथ यह निर्माण सहायक मेम्बरों पर क्षेत्रिज भार स्थानांतरित करने के लिए मोनोलिथिक व्यवहार और डायाफ्राम कार्रवाई प्रदान करती है।

फैटेसिमेंट तत्व: मशीनीकृत प्रीकार्स/प्रीफैब फेरो सिमेंट सीढ़ी, किचन शेल्फ, किचन प्लेटफॉर्म, सनशेड, लिंटेल बैंड, पानी की टंकी, फाइन्स। एकीकृत संकर समाधानदृवन का उपयोग मध्यन ऊंचाई की संरचनाओं की भार-सह संरचना में और आरसी के साथ भराव दीवार के रूप में, कॉलम-बीम-फ्रेमयुक्त या हल्का गेज स्टील (सीआरएफसेक्शन) कॉलम के रूप में, बीम या आरसी के एक संकर में, कॉलम और स्टील बीम से बनी बहु मंजिला संरचना में किया जा सकता है। सिस्टम को भूकंप सहित सभी भारों के लिए डिजाइन किया गया है।

स्थायी दीवार फोर्म

परमाफोर्म एक अभिनव स्थायी संरचनात्मक दीवार प्रणाली है जिसमें कठोर पॉली-विनाइल क्लोरोइड (पीवीसी) आधारित पोलीमर घटक होते हैं जो कंक्रीट की दीवारों के लिए एक स्थायी टिकाऊ तैयार फॉर्म-वर्क के रूप में काम करते हैं। एक्सट्रॉडिड घटक सरक कर इंटरलॉक करते हैं, जिससे दीवार के दो फलकों के साथ निरंतर



स्थायी दीवार फोर्म

फॉर्मर्वर्क का निर्माण होता है, जो लगातार वेब मैंबरों द्वारा खोखले आयताकार घटकों को एक साथ जोड़ते हैं। वेब मैम्बरों में छिद्र किये जाते हैं जिससे कि डाली जाने वाली कंक्रीट अवयवों के बीच आसानी से पहुँच सके। दीवार अवयवों को खड़ा किया जाता है और उसमें वहीं पर ही कंक्रीट भरी जाती है जिससे कि मोनोलिथिक रूप से कंक्रीट दीवार बन जाती है, क्योंकि इस निर्माण प्रक्रिया में जल थमाव के कारण क्योरिंग बेहतर ढंग से होती है। इसका कारण यह है कि पोलिमर से बना ढांचा कंक्रीट को अपरिपक्व रूप से सूखने नहीं देता, दीवार की केवल उपरी सतह ही सूखने के लिए खुली होती है। पोलिमर दीवार ढांचा से उर्ध्वाधर एवं क्षतिज दिशा में कंक्रीट में दरार आने को नियन्त्रित करने में और उर्ध्वाधर तनन पर्बलनता देने में मदद मिलती है परिणामस्वरूप दीवार की संरचनात्मक सुदृढ़ता में वृद्धि होती है। इस प्रकार से बना तंत्र अपने आप में अनूठा है और इससे संरचनात्मक द्रढ़ता, टिकाऊपन वृद्धि, जलवायु रोधकता, भूकंपीय रोधकता, डिजाइन की स्वचंद्रता और निर्माण करने में सुगमता प्राप्त होती है।

2. नवरीति की संकल्पना : नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जीएचटीसी-भारत के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए गतिविधियों की एक शृंखला की परिकल्पना की गई है। “निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष 2019–20” के रूप में, बीएमटीपीसी और योजना तथा वास्तु कला विद्यालय, दिल्ली द्वारा “नवरीति” शीर्षक से नवोन्मेषी निर्माण तकनीकों के उपयोग पर एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है।

प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं : (क) आवास के लिए दुनिया भर में उपयोग की जा रही नवीनतम सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के साथ पेशेवरों को परिचित कराना, (ख) गुणों, विनिर्देशों, निष्पादनता, डिजाइन और निर्माण के तरीकों के संदर्भ में सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता प्रदान करना, ताकि निर्माण व्यवसायी इन्हें अपने रोजमर्रा के कार्यों में लागू कर सकें और (ग) जहां ऐसी सामग्री और प्रौद्योगिकियों को लागू किया गया है, उन निष्पादित परियोजनाओं से अवगत कराना।

इस पाठ्यक्रम में ऐसा कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है जिसके पास बी.ई./बी.टैक(सिविल) या बी.आर्क (या समकक्ष) या 5 साल के अनुभव के साथ सिविल में डिप्लोमा हो। मंत्रालय ने बीएमटीपीसी और एसपीए, नई दिल्ली के साथ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की अवधारणा के लिए कई बैठकें आयोजित की हैं। इस पाठ्यक्रम सामग्री को सीपीडब्ल्यूडी, सीबीआरआई और आईआईटी से प्रौद्योगिकियों की व्यापक श्रेणी पर विशिष्ट अध्यायों को शामिल करते हुए एसपीए नई दिल्ली और बीएमटीपीसी द्वारा विकसित किया गया है। यह पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की उन्नत अवस्था में है।

3. निर्माण प्रौद्योगिकियों पर संग्रह पुस्तक तैयार करना

केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान(सीबीआरआई), रुड़की के सहयोग से भवन-निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक संग्रह पुस्तक तैयार की गई है। निर्माण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 7 दशकों से अधिक समय से सीएसआईआर-सीबीआरआई प्रमुख अनुसंधान संस्थान है और ऐसी अनेकों निर्माण सामग्रियों, घटकों और प्रौद्योगिकियों का विकास किया है और बीएमटीपीसी धरातल पर अनुप्रयोगों के माध्यम से इन प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है। दोनों संगठनों ने निर्माण प्रौद्योगिकियों पर संग्रह पुस्तक तैयार करने के लिए मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया। इस प्रकाशन में 68 मौजूदा प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :

1. फर्श और छत निर्माण प्रौद्योगिकी
2. छत निर्माण तकनीक
3. दीवार निर्माण प्रौद्योगिकियां
4. नीवं निर्माण प्रौद्योगिकियां
5. सिस्टम स्तर की प्रौद्योगिकियां
6. सेवाएं
7. सामग्रियां

प्रत्येक प्रणाली/प्रौद्योगिकी को तकनीकी विशिष्टताओं, टूल और उपकरणों, मुख्य विशेषताओं, लागत, सतत-स्थायीता और आर्थिक पहलुओं, सामग्री की आवश्यकताओं, कमियों, बाजार संपर्कों, संरचनात्मक चित्रधिविवरण और प्रासंगिक मानकों और संदर्भों के

साथ विस्तार से समझाया गया है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की भू-जलवायु उपयुक्तता को निर्दिष्ट किया गया है। ये भवन प्रौद्योगिकियां लम्बे समय से परखी हुई हैं और प्रमाणित हैं और प्रस्तुत आंकड़े सीएसआईआर—सीबीआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों के दौरान किए गए अनुसंधान और विकास और उनके धरातल पर अनुप्रयोगों का परिणाम है। दस्तावेज उपयोग करने के लिए तैयार हैं और इनका प्रयोग लाभार्थी द्वारा स्वयं निर्मित की जाने वाली कम ऊंचाई से लेकर मध्यम ऊंचाई तक की इमारतों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह संग्रह अलग—अलग घरों के निर्माण के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में काम करेगा और राज्य सरकारों को उनकी चल रही आवासीय योजनाओं में इन प्रणालियों को शामिल करने में मदद हो सकती है।

4. जीएचटीसी - भारत के अंतर्गत नवोन्नेषी उभरती प्रौद्योगिकियों पर संग्रह पुस्तक तैयार करना

एचएफए निदेशालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में बीएमटीपीसी ने नवोन्नेष उभरती प्रौद्योगिकियों पर कॉम्पेन्डियम तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती – इंडिया (जीएचटीसी – भारत) के तहत चुनी हुई 54 उभरती निर्माण प्रणालियाँ शामिल हैं।

इस कम्पेन्डियम में भारत/बाहर के देशों में वास्तविक परियोजनाओं में इसके अनुप्रयोग, लाभ, सीमाओं के साथ 6 विस्तृत श्रेणियों के तहत 54 चुनी हुई सूचीबद्ध प्रौद्योगिकियों की संक्षिप्त, परन्तु सटीक जानकारी प्रदान की गई है और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के संपर्क विवरण भी प्रदान किए गए हैं।

आशा है कि इस कम्पेन्डियम से ऐसे नीति निर्माताओं, सार्वजनिक/निजी उपयोगकर्ता एजेंसियों को सहायता मिलेगी, जिन्हें उनके क्षेत्र की भू-जलवायुवीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेष गुण जैसेकि गुणवत्ता, कार्य गति, किफायतता, सतत-स्थायीता पहलुओं आदि के लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास प्रौद्योगिकियों के उपयोग की तलाश है।।

5. योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली के “मास्टर ऑफ प्लानिंग (हाउसिंग)” के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सामग्री और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

परिषद को योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली द्वारा “मास्टर ऑफ प्लानिंग (हाउसिंग)” के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उनके दूसरे सेमेस्टर के दौरान सामग्री और प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

स्नातकोत्तर छात्रों के दूसरे सेमेस्टर की सामग्री और प्रौद्योगिकी विषय में निर्माण सामग्री पारम्परिक और परम्परागत, कम लागत वाली सामग्री, आवास विकास के लिए प्रौद्योगिकी का महत्व, पारंपरिक तकनीक और आधुनिक तकनीक, उपयुक्त तकनीक, आवास विकास के संदर्भ में भारत और तीसरी दुनिया के लिए आवास प्रौद्योगिकी, सिस्टम बिल्डिंग की अवधारणा, विभिन्न खुली और बंद प्रणाली, भवन की विभिन्न प्रणालियों की पसंद, इंटेलीजेंट भवनों की अवधारणा सम्मिलित है। भारत में निर्माण उद्योग का संगठन – आवास निर्माण उद्योग का महत्व, इसकी विशेषताएं और इसमें शामिल विभिन्न भागीदारों की भूमिका। आवास निर्माण उद्योग–निर्माण सामग्री निर्माताओं, विक्रेताओं और छोटे ठेकेदारों में लघु उद्योग। आवास निर्माण में संसाधनों और जनशक्ति का महत्व, आवास निर्माण में प्रशिक्षण की आवश्यकता, निर्मिति केंद्रों की अवधारणा। लागत कम करने की तकनीक, पर्यावरण के अनुकूल तकनीक, आवास परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी की भूमिका निर्माण–लागत समय और अन्य निहितार्थ, घर निर्माण, बुनियादी ढांचे और आवास क्षेत्र की योजना के लिए उभरते तकनीकी दृष्टिकोण, श्वीनिश आवास। नई और वैकल्पिक तकनीकों के प्रचार में बीएमटीपीसी और अन्य संगठनों की भूमिका।

इसलिए, जैसाकि एसपीए, नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक द्वारा अनुरोध किया गया है, बीएमटीपीसी ने मास्टर ऑफ प्लानिंग (हाउसिंग) के स्नातकोत्तर छात्रों के दूसरे सेमेस्टर के दौरान सामग्री और प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम शुरू किया।

संगठन

बीएमटीपीसी का संगठनात्मक ढांचे को अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, बीएमटीपीसी में कर्मचारियों की संख्या 36 थी जिसमें 17 अधिकारी और 19 सहायक कर्मचारी शामिल थे। इसके अलावा, हर परियोजना की जरूरत के आधार पर उपयुक्त तकनीकी/पेशेवर/ सहायक जनशक्ति की अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्राप्त की जाती हैं।

परिषद ने पारदर्शिता, जवाबदेही लाने और कर्मचारियों की अधिक भागीदारी के लिए प्रशासनिक और वित्तीय उपायों का पालन जारी रखा है:

- स्थानीय खरीद समिति
- स्टोर खरीद समिति
- परिवहन समिति
- संविदात्मक भुगतान समिति
- नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से जनता की शिकायतों का ऑनलाइन निपटान शुरू किया गया है।
- शिकायत निदेशक के रूप में एक अधिकारी को नामित किया गया और संगठन के सुचारू संचालन के लिए और कर्मचारियों के सदस्यों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कल्याण अधिकारी के रूप में एक अधिकारी नामित किया गया है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ
- आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति।

निकाण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद संस्थागत संचयना


प्रबंधन बोर्ड

अध्यक्षः आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
उपाध्यक्षः सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

कार्यकारी समिति

अध्यक्ष : सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

कार्यकारी निदेशक



स्टाफ/कर्मचारियों की संख्या (31.3.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	नाम व पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख
1.	डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल कार्यकारी निदेशक	17.01.08
2.	एस. बालाश्रीनिवासन प्रमुख—वित्त	08.04.92
3.	एम. रमेश कुमार प्रमुख—मानव बसायट एवं बिल्डिंग डिजाइन	01.04.93
4.	एस.के. गुप्ता उप प्रमुख—प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, विस्तार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	26.10.93
5.	अरविंद कुमार उप प्रमुख—प्रबंधन सूचना तंत्र	15.04.99
6.	चंडी नाथ झा उप प्रमुख—मानकीकरण एवं उत्पाद विकास	09.09.99
7.	पंकज गुप्ता उप प्रमुख—सूचना एवं प्रलेखन	14.10.99
8.	डी.पी. सिंह विकास अधिकारी – इंजीनियरिंग डिजाइन एवं उत्पाद मूल्यांकन	05.10.98
9.	दलीप कुमार वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी—प्रदर्शन निर्माण एवं प्रदर्शनी	04.03.91
10.	आलोक भट्टनागर वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी— प्रदर्शनी एवं विस्तारण	05.10.98
11.	आकाश माथुर वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी—वास्तुकार	01.01.02
12.	अनीता कुमार वरिष्ठ प्रोग्रामर	03.10.96
13.	एम. रामा कृष्ण रेण्डी संपर्क अधिकारी	29.10.03
14.	पंकज गुप्ता कार्मिक अधिकारी	01.03.94
15.	प्रवीण सूरी तंत्र विश्लेषक	01.09.94
16.	एस.एस. राणा पुस्तकालय अधिकारी	01.04.98
17.	डी. प्रभाकर क्षेत्राधिकारी	29.01.04

सेवानिवृत्त

1.	अरुण कुमार तिवारी मुख्य—परियोजना निगरानी और प्रशिक्षण एवं प्रशासन	22.07.03
(29.02.2020 को सेवानिवृत्त)		

लेखा

- परिषद को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वेतन हेतु 5 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। अन्य स्रोत जैसे शुल्क, परामर्शी सेवा, प्रशिक्षण, डीएचपी, डीआरएमसी, जीएचटीसी, एलएचपी, ब्याज, प्रकाशन इत्यादि से 120.72 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
- इसके अतिरिक्त, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय लघु बचत निधि से 15000.00 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त किए गए थे और यह राशि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संस्थीकृति आदेशों के अनुसार राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को संवितरित की गई। एनयूएचएफ के बैंक खाते में उपलब्ध शेष पर ब्याज के रूप में 15.79 करोड़ रुपये की राशि स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा जमा किए गए और उक्त एनयूएचएफ के बैंक खाते में ईबीआर ऋण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 30,69,04,25,000/-रुपये जमा किए गए। एनएसएसएफ/हड़को को ब्याज के भुगतान के रूप में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संस्थीकृति आदेशों के अनुसार 30,84,04,25,000/-रुपये संवितरित किए गए।
- वर्ष के दौरान, प्राप्ति एवं भुगतानलेखा विवरणों के अनुसार, कुल 1,80,95,57,58,707/-रुपये की राशि व्यय की। व्यय का सारांश नीचे दिया गया है :-

मुख्य मर्दं	राशि (रुपये में)
● भारत के विभिन्न भागोंमें प्रदर्शन आवास परियोजनाओं का निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास/अनुप्रयोग एवं प्रायोजित अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता सहित तकनीकी क्रियाकलापों पर व्यय	55,83,930
● विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं का आयोजन एवं सभी लिए आवास (हैंडहोल्डिंग, प्रलेखीकरण, संवेदीकरण और क्षमता निर्माण), प्रचार-प्रसार और राज्य सरकारों के साथ ज्ञान अंतरण के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाना	26,18,021
● डीआरएमसी, जीएचटीसी, डीएचपी और अन्य के संबंध में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य क्रियाकलापों पर व्यय	1,83,27,423
● कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर पेरिफेरल्स आदि सहित वेतन, स्थापना एवं प्रशासन व्ययों से संबंधित	7,14,74,456
● ईबीआर ऋण पर ब्याज का भुगतान/प्रतिभूति जमा की वापिसी	30,85,77,54,87
● राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई (यू)]— सबके लिए आवास के अंतर्गत — अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के रूप में हड़को से उधार लेकर जुटाई गई राशि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संस्थीकृति आदेश के अनुसार राज्योंधसंघ राज्य क्षेत्रों को संवितरित केन्द्रीय सहायता	1,50,00,00,00,000
योग	1,80,95,57,58,707

इन लेखाओं की लेखा परीक्षा मैसर्स एमण्डसन् सेखोन एंड कंण सनदी लेखाकार द्वारा की गई है। वर्ष 2019-20 का तुलन-पत्र तथा लेखा विवरण रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

एम.एस. सेखोन एण्ड कं.**सनदी लेखाकार**

170, मधुवन, दिल्ली-110092

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

नई दिल्ली

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट**अभिमत**

हमने सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् ("सोसायटी") की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र एवं समाप्त वर्ष का आय व व्यय तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा तथा महत्वपूर्ण लेखाकार नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं लेखांकन हेतु हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार ये वित्तीय विवरण ऐसे तरीके में अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं जो आवश्यक थे एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार सही एवं उचित विचार प्रदान करते हैं।

क. तुलन पत्र के मामले में, सोसायटी के कार्य 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार है।

ख. आय एवं व्यय लेखों के विवरण और घाटे से संबंधित विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार है।
ग. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के मामले में प्राप्तियां एवं भुगतान उस तारीख को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार है।

अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है। हम उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार में स्वतंत्र संस्था हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है एवं हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्व पूरे किए हैं। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा के साक्ष्य जो हमने प्राप्त किये हैं हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन एवं अभिशासन के उन व्यक्तियों के दायित्व जिन्हें प्रभार दिया गया है

प्रबंधन उपर्युक्त लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए एवं उचित प्रस्तुतिकरण करने के लिए तथा ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है जो प्रबंधन वित्तीय विवरण तैयार करने में आवश्यक मानता है कि ये वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत बयानी चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण से मुक्त हैं।

इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए संस्था को चालू संस्थान के तौर पर जारी रखने, विगोपन करने यथा लागू चालू संस्थान से संबंधित विषय एवं लेखांकन के आधार पर चालू संस्थान का उपयोग करने में संस्था योग्यता का आकलन करने लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन संस्था को परिसमाप्त अथवा प्रचालन बंद न करना चाहता हो अथवा वास्तविक विकल्प न होने के कारण ऐसा करना पड़ा हो। अभिशासन के वे व्यक्ति जिन्हें प्रभार दिया गया है भी संस्था के वित्तीय सूचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

अभिशासन के वे व्यक्ति, जिन्हें प्रभार दिया गया है, भी संस्था के वित्तीय सूचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों के बारे में पूर्ण रूप से युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हो एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा भौतिक गलत बयानी को पकड़े जब यह घटित हो। गलत बयानी धोखाधड़ी एवं त्रुटि से भी हो सकती है एवं इसे तब तहत्त्वपूर्ण माना जाता है यदि यह अलग-अलग अथवा एक साथ की गई हो, उनसे इन वित्तीय विवरणों आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने की अपेक्षा हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के हिस्से के तौर पर हमने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया है एवं पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संशय को बनाये रखा। निम्नलिखित भी हमने संपन्न किए हैं:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी की पहचान करना व उसका आकलन करना चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण तथा उन जोखिमों के प्रत्युत्तरकारी लेखापरीक्षा का निष्पादन करना एवं लेखा परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित हो। धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी न पकड़ पाने के जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम से बड़े हैं, चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, गबन, जनबूझ कर गलती करना, गलत प्रस्तुतिकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रिया की अभिकल्पना करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रक की जानकारी लेना जो परिस्थितियों में यथोचित हों लेकिन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर हमारा अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ न हो।

प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों व संबंधित विगोपनों की औचित्यता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के आधार पर चालू संस्था का उपयोग एवं प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना चाहे उसमें घटना अथवा स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद हो जो चालू संस्था के तौर पर जारी रखने में संस्था की योग्यता पर महत्वपूर्ण संशय डाल सकते हो। यदि हमारा निष्कर्ष है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों के प्रति लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसी विगोपन अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत में संशोधन करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि भावी घटनाएं व स्थितियां संस्था को चालू संस्था के तौर पर जारी रखने में बंद होने का कारण भी हो सकती हैं।

हम अन्य विषयों में से उन व्यक्तियों के बारे में जिन्हें अभिशासन में प्रभार दिया गया है, आंतरिक लेखापरीक्षा में कोई महत्वपूर्ण विसंगति जो हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित की हैं सहित लेखापरीक्षा का सुनियोजित कार्यक्षेत्र व समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सूचना देते हैं।

कृते एम.एस. सेखोन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं. 003671 एन

ह0

राजीव टंडन

(एफसीए, साझीदार)

सदस्यता सं. 087343

यूडीआईएन: 19087343AAAABE7339

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 03.12.2020

तुलन पत्र 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार

राशि (₹)

	अनुसंधी	2019-20	2018-19
समग्र/पैँजी निधि एवं देयताएं			
समग्र/पैँजी निधि	1	10,00,000	10,00,000
आरक्षित एवं बचत	2	18,26,68,645	18,93,39,142
दीघावधि देयताएं	3	4,30,00,00,00,000	2,80,00,00,00,000
अभिनिर्धारित निधि	4	1,03,98,54,842	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	5	4,95,20,88,357	9,59,03,65,187
योग		4,36,17,56,11,844	2,89,78,07,04,329
सम्पत्ति			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	6	2,58,96,218	2,84,21,092
गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियां	7	4,30,00,00,00,000	2,80,00,00,00,000
चालू संपत्ति, ऋण एवं अग्रिम आदि	8	6,14,97,15,626	9,75,22,83,237
योग		4,36,17,56,11,844	2,89,78,07,04,329
अन्यावश्यक लेखांकन नीतियां और लेखों के संबंध में टिप्पणियां	17		

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम एस शेखो एंड कं0
सनदी लेखाकार

एफआरएन : 003671N

कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी
संवर्द्धन परिषद

राजीव टण्डन
साझेदार
M.No.87343

पंकज गुप्ता
वित्त अधिकारी

शरद कमार गुप्ता
मुख्य -वित्त (प्रभारी)

डा. शैलेश कृमार अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक



निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि (₹)

	अनुसंधान	2019-20	2018-19
आय			
अनुदान/सब्सीडी	9	5,00,00,000	5,00,00,000
प्रदर्शन आवास परियोजना/प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठियां प्राप्तियां	10	1,16,04,050	6,21,34,000
प्रकाशनों से आय और पीएसी का शुल्क आदि	11	14,45,014	16,43,139
अर्जित ब्याज	12	1,02,58,406	59,42,406
योग (क)		7,33,07,470	11,97,19,545
व्यय			
वेतन, स्थापना और प्रशासन पर	13	7,04,32,593	6,51,74,701
प्रसार/संगोष्ठियाँ/कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एचएफए आदि पर व्यय	14	42,17,557	63,17,293
प्रदर्शन आवास परियोजनाओं सहित वैज्ञानिक और तकनीकी (एस एंड टी) गतिविधियों पर व्यय	15	21,22,055	3,11,44,402
मूल्यहा	6	32,05,762	34,02,002
योग (ख)		7,99,77,967	10,60,38,398
वर्ष के लिए आधिक्य/घाटा (क-ख)		(66,70,497)	1,36,81,147
अवधि पूर्व की मर्दे		-	55,62,682
आधिक्य/(घाटा)के रूप में तुलन पत्र में लाया गया शेष		(66,70,497)	81,18,465

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम एस शेखो एंड कं0
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003671N

कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी
संवर्द्धन परिषद

ह0
राजीव टण्डन
साझेदार
M.No.87343

ह0
पंकज गुप्ता
वित्त अधिकारी
शरद कुमार गुप्ता
मृद्यु -वित्त (प्रभारी)
डा.शेलेश कमार अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 03.12.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

राशि (₹)

	2019-20	2018-19
प्राप्तियां		
1 प्रारंभिक शेष		
नकटी शेष		
बैंक में शेष		
अनुसंचित बैंकों में:		
- केनरा बैंक में जमा	3,96,00,000	10,87,19,043
- बचत खाते में जमा:		
- केनरा बैंक	6,31,081	95,78,823
- भारतीय स्टेट बैंक	49,67,756	31,96,974
- भारतीय स्टेट बैंक(एनयूएचएफ)	8,86,20,245	5,26,02,740
13,38,19,082		17,40,97,580
2 केन्द्र सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता)	5,00,00,000	5,00,00,000
3 शुल्क से प्राप्तियां/डीआरएमसी/डीएचटीसी/डीएचपी परियोजनाएं/ प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठी से प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियां	11,83,26,588	87,57,754
4 ऋण एवं अधिग्रहण (निवाल)	8,16,095	-
5 प्रतिभूति जमा आदि	3,38,86,532	4,46,585
6 एनयूएचएफ निवाल के लिए ईबीआर	1,50,00,00,00,000	2,00,00,00,00,000
7 एनयूएचएफ निवाल पर प्राप्त व्याज आ.श.का.मं. को देय	15,78,98,438	3,60,17,505
8 त्रिपुरा/गुजरात/हरियाणा/गोवा में प्रदर्शन आवास परियोजना के संबंध में मंत्रालय से प्राप्तियां	6,32,27,350	-
9 लाइट हाउस परियोजनाओं के संबंध में प्राप्तियां	96,01,60,000	-
10 ईबीआर ऋण पर व्याज के भुगतान के संबंध में प्राप्तियां	30,69,04,25,000	-
11 विहार शरीफ/लखनऊ/उड़ीसा में प्रदर्शन आवास परियोजना के संबंध में एनएबी से प्राप्तियां	2,32,41,000	1,94,35,000
12 प्रकाशनों की बिक्री, पीएसीएस आदि से प्राप्तियां	14,45,014	16,23,859
13 अर्जित व्याज	61,60,778	93,36,567
योग	1,82,23,94,05,877	2,00,29,97,14,850
भुगतान		
1 अचल संपत्तियों की खरीद	6,80,888	2,29,487
2 वेतन, स्थापना और प्रशासन पर व्यय	7,07,93,568	7,35,05,776
3 प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठी/डीआरएमसी/कार्यशालाओं आदि पर व्यय	26,18,021	1,59,90,736
4 वैज्ञानिक एवं तकनीकी (एस एंड टी) गतिविधियों पर व्यय, प्रदर्शन आवास परियोजनाओं सहित	55,83,930	7,96,76,407
5 ऋण एवं अधिग्रहण (निवाल)	-	35,53,511
6 प्रत्याभूति जमा आदि	1,73,29,877	15,20,945
7 हड्डो/एनएसएसएफ को ईबीआर ऋण पर व्याज का भुगतान	30,84,04,25,000	
8 अधिनिधरीरत निवाल		
राष्ट्रीय शहरी आवास निवाल	1,50,00,00,00,000	2,00,00,00,00,000
याएनडी-शहरी प्रवंधकों के लिए ट्रलकिट का विकास	-	1,41,250
वैश्वक आवास प्रौद्योगिकी चैनोलों	41,47,548	-
अगरतला में प्रदर्शन आवास परियोजना	99,120	3,09,80,000
पंचकूल हरियाणा में प्रदर्शन आवास परियोजना	5,76,120	-
डाटा संसाधन निगरानी प्रकाष्ठ	1,35,04,635	1,50,01,83,27,423
		1,06,92,000
		2,00,04,18,13,250
9 बैंक में अंतिम शेष		
- केनरा बैंक में जमा	13,29,36,634	3,96,00,000
- भारतीय स्टेट बैंक -एलएचपी खाता	14,45,90,000	
- बचत खातों में:		
- केनरा बैंक	7,52,20,837	6,31,081
- भारतीय स्टेट बैंक -एलएचपी अगरतला	13,99,98,064	-
- भारतीय स्टेट बैंक -एलएचपी द्वन्द्वे	16,12,78,065	-
- भारतीय स्टेट बैंक -एलएचपी इंदौर	14,34,42,256	-
- भारतीय स्टेट बैंक -एलएचपी लखनऊ	10,08,063	-
- भारतीय स्टेट बैंक -एलएचपी राजकोट	22,87,98,065	-
- भारतीय स्टेट बैंक -एलएचपी रांची	14,11,18,065	-
- भारतीय स्टेट बैंक	1,87,38,438	49,67,756
- भारतीय स्टेट बैंक (एनयूएचएफ)	9,65,18,683	8,86,20,245
	1,28,36,47,170	13,38,19,082
योग	1,82,23,94,05,877	2,00,29,97,14,850

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम एस शेखो एड को

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 003671N

ह0

राजीव टण्डन
साझेदार
M.No.87343

कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी

संवर्द्धन परिषद्

ह0

डा.श्लेश कुमार अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक



निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

राशि(₹)

अनुसूची 1- मूल/पूँजी निधि	2019-20	2018-19
वर्ष के प्रारंभ में शेष	10,00,000	10,00,000
योग	10,00,000	10,00,000
अनुसूची 2- आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2018-19	2017-18
1. पूँजी आरक्षित		
प्रारंभिक शेष	9,03,34,336	9,01,04,849
वर्ष के दौरान वृद्धि	<u>6,80,888</u>	<u>2,29,487</u>
2. व्यय की तुलना में आय की अधिकता		
प्रारंभिक शेष	9,90,04,806	9,11,15,828
घटाएँ : आय और व्यय खाता से अंतरित राशि	- 66,70,497	
जोड़े : आय और व्यय खाता से अंतरित राशि	-	<u>81,18,465</u>
घटाएँ आरक्षित पूँजी में अंतरित	<u>9,23,34,309</u> <u>6,80,888</u>	<u>9,92,34,293</u> <u>2,29,487</u>
योग	18,26,68,645	18,93,39,142
अनुसूची 3-दीर्घावधि देयता	2019-20	2018-19
राष्ट्रीय शहरी आवास निधि		
1.पीएमएवाई(यू) मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के रूप में संवितरण के लिए राष्ट्रीय लघु बचत निधि से ऋण	2,30,00,00,00,000	80,00,00,00,000
2.पीएमएवाई(यू) मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के रूप में संवितरण के लिए हड्डी से ऋण	2,00,00,00,00,000	2,00,00,00,00,000
योग	4,30,00,00,00,000	2,80,00,00,00,000



निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

राशि(₹)

अनुसूची 4-अभिनिर्धारित निधियां	2019-20	2018-19
1 यूएनडीपी-शहरी प्रबंधकों के लिए साधन/उपकरण विकसित करना		
प्रारंभिक शेष	-	1,41,250
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	-	1,41,250
2 डाटा संसाधन सह निगरानी केन्द्र		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	44,45,000	66,64,000
जोड़ः वर्ष के दौरान वस्तीयोग्य राशि	90,59,635	40,28,000
घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय	1,35,04,635	1,06,92,000
3 राष्ट्रीय शहरी आवास निधि		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	1,50,00,00,00,000	2,00,00,00,00,000
घटाएँ: वर्ष के दौरान संवितरण (अनुसूची 16)	1,50,00,00,00,000	2,00,00,00,00,000
4 पटना, बिहार शहीक में प्रदर्शन आवास परियोजना		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	1,49,00,000
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	1,49,00,000
5 लखनऊ में प्रदर्शन आवास परियोजना		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	1,60,80,000
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	1,60,80,000
6 अंगरतला, त्रिपुरा में प्रदर्शन आवास परियोजना		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	2,52,31,123	-
घटाएँ: संविभाजित वेतन और प्रशासन व्यय	36,66,061	
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	99,120	2,14,65,942
7 पंचकूला, हरियाणा में प्रदर्शन आवास परियोजना		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	2,02,64,877	-
घटाएँ: संविभाजित वेतन और प्रशासन व्यय	29,44,469	
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	5,76,120	1,67,44,288
8 गोवा में प्रदर्शन आवास परियोजना		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	2,12,51,660	-
घटाएँ: संविभाजित वेतन और प्रशासन व्यय	30,87,848	
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	1,81,63,812
9 गुजरात में प्रदर्शन आवास परियोजना		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	72,28,340	-
घटाएँ: संविभाजित वेतन और प्रशासन व्यय	10,50,272	
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	61,78,068
10 वैश्वक आवास प्रौद्योगिकी चनौती		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	2,19,00,000	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	47,57,268	1,71,42,732
11 लाइट हाऊस परियोजना-अंगरतला		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	14,00,00,000	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	14,00,00,000
12 लाइट हाऊस परियोजना-चैन्डू		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	16,12,80,000	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	16,12,80,000
13 लाइट हाऊस परियोजना-इंदौर		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	14,33,60,000	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	14,33,60,000
14 लाइट हाऊस परियोजना-लखनऊ		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	14,56,00,000	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	14,56,00,000
15 लाइट हाऊस परियोजना-राजकोट		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	22,88,00,000	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	22,88,00,000
16 लाइट हाऊस परियोजना-रांची		
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	14,11,20,000	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	14,11,20,000
योग	1,03,98,54,842	-
अनुसूची 5- वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	2019-20	2018-19
वर्तमान देयताएँ		
बकाया देयताएँ	9,01,566	25,15,160
- प्रत्याभूति जमा	2,23,54,931	57,98,276
- संचित व्याज और एनएसएसएफ (एनयूएचएफ निधि) को देय	-	6,72,00,00,000
- रु.8000 करोड़ के क्रूप पर संचित व्याज परन्तु एन एस एफ (एनयूएचएफ निधि) को देय नहीं	22,09,31,506	22,09,31,506
- 15000 करोड़ रुपये के क्रूप पर संचित व्याज परन्तु एन एस एफ (एनयूएचएफ निधि) को देय नहीं	2,03,51,08,775	-
-20000 करोड़ रु.के क्रूप पर संचित व्याज परन्तु हड्डों (एनयूएचएफ निधि) को देय नहीं	2,57,62,72,896	2,55,25,00,000
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को वापिस की जाने वाली राशि (एनयूएचएफ बचत बैंक व्याज)	9,65,18,683	8,86,20,245
योग	4,95,20,88,357	9,59,03,65,187



निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्खन परिषद
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

राशि (₹)

अनुसूची 6- संपदा, संयंत्र और उपकरण					2019-20		2018-19	
	सकल ब्लॉक		मूल्यहास			निवल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	
	01.04.19 की स्थिति के अनुसार लागत	वृद्धि	योग	01.04.19 तक	चालू वर्ष	31.03.2020 तक	31.03.20 की स्थिति के अनुसार	1.03.19 की स्थिति के अनुसार
भूमि सहित कार्यालय भवन	3,43,19,817	-	3,43,19,817	90,97,606	25,22,221	1,16,19,827	2,26,99,990	2,52,22,211
फर्नीचर एवं फिक्सचर	37,70,015	8,000	37,78,015	30,06,040	77,198	30,83,238	6,94,777	7,63,975
कार्यालय उपकरण	1,96,64,283	5,16,988	2,01,81,271	1,84,06,936	2,66,150	1,86,73,086	15,08,185	12,57,347
कंप्यूटर/ कंप्यूटर से जुड़ी मर्दे	1,89,98,476	1,55,900	1,91,54,376	1,85,93,678	2,24,279	1,88,17,957	3,36,419	4,04,798
एयर कंडीशनर	10,35,166	-	10,35,166	8,27,815	31,103	8,58,918	1,76,248	2,07,351
पंखे और कूलर	81,224	-	81,224	62,677	2,782	65,459	15,765	18,547
टीवी और वीसीआर	3,80,450	-	3,80,450	3,45,624	5,224	3,50,848	29,602	34,826
प्रदर्शनीय वस्तुएं, पैनल, प्रदर्शन माडल	1,20,84,905	-	1,20,84,905	1,15,72,868	76,805	1,16,49,673	4,35,232	5,12,037
	9,03,34,336	6,80,888	9,10,15,224	6,19,13,244	32,05,762	6,51,19,006	2,58,96,218	2,84,21,092
गत वर्ष (2018-19)	9,01,04,849	2,29,487	9,03,34,336	5,85,11,242	34,02,002	6,19,13,244	2,84,21,092	3,15,93,607



निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्



निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

राशि(₹)

अनुसूची 7- वर्तमान संपत्तियां	2019-20	2018-19
-------------------------------	---------	---------

1 पीएमएवाई(यू) मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आवास निधि के लिए एनएसएफ से लिया गया ऋण वापिस करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से वसूली जाने वाली राशि 2,30,00,00,00,000 80,00,00,00,000

2 पीएमएवाई(यू) मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आवास निधि के लिए हड्डों से लिया गया ऋण वापिस करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से वसूली जाने वाली रकम 2,00,00,00,00,000 2,00,00,00,00,000

योग	4,30,00,00,00,000	2,80,00,00,00,000
-----	-------------------	-------------------

अनुसूची 8 - वर्तमान संपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि	2019-20	2018-19
---	---------	---------

A. वर्तमान संपत्तियां

1. बैंक शेष

-केनरा बैंक में जमा	13,29,36,634	3,96,00,000
- एसबीआई में जमा (एलएचपी)	14,45,90,000	-
-बचत खाता :		
- केनरा बैंक	7,52,20,836	6,31,081
- स्टेट बैंक आफ इंडिया	1,87,38,438	49,67,756
- स्टेट बैंक आफ इंडिया(एनयूएचएफ)	9,65,18,683	8,86,20,245
- स्टेट बैंक आफ इंडिया(एलएचपी)-अग्रतला	13,99,98,065	-
- स्टेट बैंक आफ इंडिया(एलएचपी)-चैन्नई	16,12,78,065	-
- स्टेट बैंक आफ इंडिया(एलएचपी)-इंदौर	14,34,42,256	-
- स्टेट बैंक आफ इंडिया(एलएचपी)-लखनऊ	10,08,063	-
- स्टेट बैंक आफ इंडिया(एलएचपी)-राजकोट	22,87,98,065	-
- स्टेट बैंक आफ इंडिया(एलएचपी)-रांची	14,11,18,065	1,28,36,47,170
		-
		13,38,19,082

B. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां

1. कर्मचारियों को अग्रिम

7,49,700 7,49,700 13,05,542 13,05,542

2. पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत एनयूएचएफ-ईबीआर की केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से वसूली जाने वाली राशि 4,83,23,13,177 4,83,23,13,177 9,49,34,31,506 9,49,34,31,506

3. नकद अथवा मद अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली की जाने वाले अग्रिम एवं अन्य राशियां

क. वसूल की जाने वाली राशियां और अन्य अग्रिम	33,48,687	34,81,319
ख. एनएचबी से वसूली जाने वाली राशि	1,67,98,635	3,09,80,000
ग. विभिन्न प्रदर्शन आवासीय परियोजना एवं जीएचटीसी सम्मेलन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से वसूली जाने वाली राशि	1,93,468	7,54,32,443
घ. प्रत्याभूति जमा (स्पेस)	4,20,000	4,20,000
ड. सोत पर कर की कटौती और वसूल किया जाने वाला जीएसटी	70,75,118	2,78,35,908
		1,23,41,302
4. एफडीआर पर संचित ब्याज		51,69,671
		10,72,043

51,69,671 10,72,043

योग (क+ ख) 6,14,97,15,626 9,75,22,83,237



निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

राशि (₹)

		2019-20	2018-19
अनुसूची 9- अनुदान/आर्थिक सहायता (स्थिर अनुदान एवं छूट प्राप्त प्राप्तियां)		2019-20	2018-19
1 केन्द्रीय सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)		5,00,00,000	5,00,00,000
योग		5,00,00,000	5,00,00,000
अनुसूची 10 - शुल्क/अंशदान		2019-20	2018-19
1 प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठियां प्राप्तियां/प्रदर्शन आवास परियोजनाएं		1,16,04,050	6,21,34,000
योग		1,16,04,050	6,21,34,000
अनुसूची 11- पीएसीएस शुल्क , प्रकाशन आदि से आय		2019-20	2018-19
1 प्रकाशनों, की बिक्री, पीएसीएस आदि से प्राप्तियां		14,45,014	16,43,139
योग		14,45,014	16,43,139
अनुसूची 12- अर्जित व्याज		2019-20	2018-19
1 अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा राशियों पर		85,50,759	51,66,081
2 अनुसूचित बैंकों में बचत खाते में जमा पर		12,82,756	7,04,279
3 कर्मचारियों को अग्रिम पर		4,03,063	72,046
4 वापिस प्राप्त आयकर की राशि पर		21,828	-
योग		1,02,58,406	59,42,406
अनुसूची 13- वेतन, स्थापना और प्रशासन पर व्यय		2019-20	2018-19
1 वेतन और भूते		6,06,59,988	5,40,16,967
2 छुट्टी यात्रा रियायत		5,61,677	5,11,263
3 चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति		2,30,768	11,64,561
4 मानदेय		1,72,500	2,19,259
5 प्रशासन व्यय		88,07,660	92,62,651
योग		7,04,32,593	6,51,74,701
अनुसूची 14 - प्रसार / संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एचएफए, आदि पर व्यय		2019-20	2018-19
1 प्रदर्शनी और प्रचार		5,27,870	11,47,056
2 संगोष्ठी और सम्मेलन व्यय	असंवेदित	5,12,382	10,50,918
3 मुद्रण, प्रकाशन और विज्ञापन		3,46,660	10,40,113
4 प्रस्तके और पत्र-पत्रिकाएं		72,947	50,838
5 सभी के लिए आवास (सहयोग, प्रलेखन, संवेदीकरण और क्षमता निर्माण, आपदा न्यूनीकरण)		11,58,162	10,52,350
6 भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस तैयार करना		15,99,536	1,31,961
7 त्वरित शहरी मिशनों पीएमएवार्ड(यू) और एसबीएम (यू) पर राष्ट्रीय परामर्श		-	14,14,517
8 बड़े पैमाने पर आवास निर्माण और वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती के लिए संभावी उभरती प्रौद्योगिकियां		4,29,540	
योग		42,17,557	63,17,293

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां

	Amount (₹)	
	2019-20	2018-19
अनुसूची 15 - प्रदर्शन आवास परियोजनाओं सहित वैज्ञानिक और तकनीकी (एस एंड टी) गतिविधियों पर व्यय		
क भवन निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियां		
1 लखनऊ में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	12,19,113	76,43,927
2 भुवनेश्वर में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	1,58,295	17,60,285
3 नैलोर में प्रदर्शन आवास परियोजना और समुदायिक केन्द्र का निर्माण	72,000	1,08,414
4 तेलंगाना, हैदराबाद में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	1,17,048	1,42,21,491
5 बिहार शरीफ में प्रदर्शन आवास परियोजना का निर्माण	3,27,560	25,06,203
6 निष्पादनता मूल्यांकन प्रमाणन स्कीम	32,613	5,62,071
7 पीएमएवाई(शहरी) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग पर संवेदी कार्यक्रम	45,426	-
8 भारत के विभिन्न भागों में प्रदर्शन आवास परियोजना की निगरानी	-	6,99,558
9 ईंटों की राज्यवार कुल जरूरत का मूल्यांकन और भारत में निर्मित की जा रही मिट्टी की ईंटों की संख्या	-	1,00,000
10 दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों में नई निर्माण प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए प्रदर्शन आवास परियोजनाएं	-	10,00,000
11 उभरती प्रौद्योगिकियों विशेषतया आईआईटी खड़गपुर द्वारा स्टील संरचना प्रणाली के संबंध में शैक्षणिक स्वरूप की शैक्षिक सामग्री का विकास	-	3,73,750
उप-योग (क)	19,72,055	2,89,75,699
ख क्षमता निर्माण और कौशल विकास		
1 भवन निर्माण सामग्री और सतत-स्थायी निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरती प्रवृत्ति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	50,000	
2 सतत-स्थायी निर्माण के लिए उड़न राख और निर्माण एवं तोड़-फोड़ अपशेष उत्पादों के प्रयोग पर कार्यशाला	1,00,000	
3 दिल्ली-एनसीआर और कटक, उड़ीसा में फ्लाई एश की ईंटों के विनिर्माताओं और संभावित उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	67,469
4 उभरती आवास प्रौद्योगिकियों पर लघु फिल्मों का निर्माण	-	6,20,933
5 पीएमएवाई पर श्रृंखला प्रस्तुतीकरण तैयार करना	-	1,74,400
6 भोपाल में आवास के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों सहित अच्छी निर्माण पद्धतियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	-	1,84,769
7 लखनऊ में आवास के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों सहित अच्छी निर्माण पद्धतियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	-	2,35,087
8 उभरती प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	-	2,50,000
9 आवासीय एककों और संबंधित अवसंरचनाओं के निर्माण में निर्माण और तोड़-फोड़ (सी एंड टी) अपशिष्ट के प्रयोग पर कार्यशाला	-	1,00,000
10 आवास और भवन निर्माण के लिए बांस के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यशाला	-	4,00,000
उप-योग (ख)	1,50,000	20,32,658
ग आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन		
1 भारत के भूकंप से खतरे वाले क्षेत्रों के नक्शों के लिए मोबाइल एप का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन	-	1,36,045
उप-योग (ग)	-	1,36,045
योग(क+ख+ग)	21,22,055	3,11,44,402

अनुसूची 17: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के संबंध में टिप्पणियां
सार संग्रह

- 1990 में स्थापित निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बीएमटीपीसी) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी अनुदान सहायता संगठन है। बीएमटीपीसी को बड़े पैमाने पर क्षेत्र अनुप्रयोग के लिए आपादा रोधी निर्माण पद्धतियों सहित लागत-प्रभावी, पर्यावरण हितैषी, ऊर्जा-क्षम और उभरती भवन निर्माण सामग्री और आवास प्रौद्योगिकियों के संबंध में भी अतरण के लिए कार्यादेश संभोग गया है।
- 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां -**
 - (क) **लेखांकन की प्रणाली:** भारत में लागू सिद्धांतों और अधिसूचित लेखांकन मानकों के साथ सभी सामग्रियों के पहलुओं का अनुपालन करने के लिए लेखे तैयार किए गए हैं।
 - (ख) **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण :** अचल संपत्तियों को अर्जन की लागत में से संचित मूल्यहास को घटाकर दर्शाया गया है जैसाकि आयकर अधिनियम 1961 में प्रावधान है। सभी अचल संपत्तियों की पहचान इस समय तक संशोधित सामान्य नियम, 1963 में विनिर्दिष्ट नियमों और विनियमों के अनुसार की गई है।
 - (ग) **मूल्यहास:** मूल्यहास लिखित मूल्य की दरों पर है और आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट तरीके से किया गया है।
 - (घ) **सरकारी अनुदान:**
 - (i) वर्ष के दौरान प्राप्त किए सरकारी अनुदानों को आईसीएआई द्वारा जारी 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' से संबंधित लेखांकन मानक 12 के अनुसार लेखों में दर्शाया गया है।
 - (ii) विशेष प्रयोजन से प्राप्त की गई अभिनिर्धारित निधियों का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाता है जिस प्रयोजन के लिए निधियां प्राप्त की जाती हैं और ऐसी निधियों की अव्ययित शेष राशि को राशि का पूरा-पूरा उपयोग होने तक अथवा वापिस किए जाने तक आगे ले जाया जाता है।
 - (इ) **सेवानिवृत्ति लाभ -**
 - (i) परिषद द्वारा अपने स्वयं के भविष्य निधि न्यास में अंशदान किया जाता है जो कि आयकर प्राधिकरणों से मान्यताप्राप्त है और वर्ष के दौरान भविष्य निधि न्यास में किया गया अंशदान राजस्व में प्रभारित किया गया है।
 - (ii) जमींदारियों को बैंज़यटी और अवकाश के बदले में नकद राशि के संबंध में देयता एलआईसी को भुगतान किए जाने वाले प्रिमियम के रूप में की जाती हैं और इसे भुगतान के वर्ष के दौरान राजस्व में प्रभारित की गई है।
 - (ज) **सामान्य:** जहां लेखांकन की नीतियों का विशेषज्ञ रूप से कोई उल्लेख नहीं है वहां वे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन की पद्धतियों के अन्तर्गत हैं।
 - 2 आकस्मिक देयताएं:** परिषद के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें क्रूणों के रूप में नहीं माना गया है - शब्द्यन
 - 3 प्रबंधन के विचार में:** कार्यों के सामान्य निर्वहन के दौरान चाल संपत्तियों, क्रूणों और अग्रिमों से राशि प्राप्त होने वाली राशि बैलेंस शीट में दर्शायी गई राशि से कम नहीं होगी। इसके अलावा, सभी जात देयताओं के लिए प्रावधान लेखों में किया गया है।
 - 4 यह परिषद आयकर अधिनियम की धारा 12क के अंतर्गत पंजीकृत है और इसे होने वाली आय आयकर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार, लेखों में आयकर के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह परिषद नियमित रूप से सरकारी प्राधिकरणों में टीडीएस, जीएसटी और अन्य वैधानिक देयताओं को जमा करा रही है।**
 - 5 आय और व्यय :** चैक के आय और व्यय के संबंध में बड़ी संख्या में लेखा शीर्ष हैं, अतः ऐसे व्यय और राजस्व जो समान स्वरूप के हैं और वे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आते हैं, उनको वहां आपस में जोड़ दिया गया है जहां वित्तीय विवरणों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
 - 6 क)** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या एन-11022/1/2018-एचएक-III-यूडी (सी.संख्या 9035628) दिनांक 14.03.2018 द्वारा बीएमटीपीसी को निम्नलिखित से अवगत कराया गया है:
मंत्रिमंडल ने 20.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ हमारे मंत्रालय के प्रस्ताव, जैसाकि नीचे दिया गया है, का अनुमोदन कर दिया है :
 - वित्त मंत्रालय के परामर्श से पीएमएवाई(शहरी) परियोजनाओं के लिए चार वर्षों में क्रूणदाताओं अभिकरणों अथवा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के माध्यम से निधियां जटाना
 - बीएमटीपीसी पीएमएवाई (शहरी) के लिए भारत सरकार से क्रूण प्राप्त करें और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सलाह पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय नोडल अभिकरणों (सीएन) को संवितरित करें
 - क्रूण को भारत सरकार चारों और वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सहमति की शर्तों पर वापिस करने के दायित्व को परा करेगी।
 - (ख) उपर्युक्त को देखते हुए, मूलधन और व्याज की राशि को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आविटेट निधियों में से पूरा किया जाएगा और राशि के परोक्ष निश्चितता है, वंसल की जाने वाली अपेक्षित राशि को एक अलग संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है अर्थात गैर-चाल संपत्तियों और एनएसएसएफ/हडको से प्राप्त क्रूण को बैलेंस शीट में दीर्घावधि देयता के रूप में दर्शाया गया है।
 - (ग) वर्ष के दौरान, एनएसएसएफ से परिषद ने भारत सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपये (गत वर्ष 8,000 करोड़ रुपये) और हडको से शन्य रुपये (गत वर्ष 20,000 करोड़ रुपये) क्रूण के रूप में प्राप्त हएं और पूरी राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय नोडल अभिकरणों को पीएमएवाई (यू) योजना के अंतर्गत संवितरित कर दी गई। राशि के संवितरण का विवरण अन्सूची 16 में दिया गया है।
 - (घ) पीएमएवाई (शहरी) कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) के अंतर्गत लिए गए क्रूण पर क्रूणदाताओं को भुगतान किए जाने वाले मूलधन और व्याज आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा परिषद को उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्रालय के भरपुरे लिए गए क्रूण पर व्याज का भुगतान व्याज के भुगतान की देय तारीखों पर उन प्राप्तियों में से मंत्रालय द्वारा किया जाएगा जिनके संबंध में प्रावधान इस प्रयोजन के लिए किया गया है। तदनुसार, व्याज का व्यय/आय और व्यय लेखा के माध्यम से व्यक्त किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में चाल देयताओं/चाल संपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है।
 - 7 जहां कहीं अपेक्षित हुआ, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है और उनके फिर से समझ बनाए गए हैं और उपर्युक्त सभी सूचना प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गई हैं और लेखा परीक्षकों को उस पर विश्वास है।
 - 8 अनुसूची 1 से 17 अनुबंध के रूप में संलग्न हैं और ये 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों का एक अत्यावश्यक भाग है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एस.शेखो एंड कॉ
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 003671N
**ह०
राजीव टंडन
साझेदार
M.No.87343**
**स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03.12.2020**
कृते निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी
संवर्द्धन परिषद्
**ह०
पंकज गृष्ठा
वित्त अधिकारी**
शरद कुमार गृष्ठा
मुख्य वित्त प्रभारी
**ह०
डा.रैलेश कुमार अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक**

अनुबंध ।**राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी****I. प्रदर्शनियां**

वर्ष के दौरान, परिषद ने विभिन्न प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से भाग लिया जिनसे किफायती एवं उभरती, पर्यावरण हितैषी और उर्जा सक्षम निर्माण सामग्री, निर्माण प्रौद्योगिकियों तथा उभरती प्रौद्योगिकियों सहित निर्माण संघटकों के उत्पादन के लिए सरल मशीनों में ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान में सहायता प्रदान की:

- 1-3 अगस्त, 2019 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में नेशनल न्यूज सर्विस आयोजन एवं प्रदर्शनियां प्रा. लि. द्वारा आयोजित सरकारी उपलब्धियां और योजनाएं एक्सपो-2019
- 25-29 सितम्बर, 2019 तक कोलकाता में बंगाल मानव संसाधन विकास फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वां भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शन एवं मेला 2019 (राष्ट्रीय स्तर का विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जन-जागरूकता प्रदर्शनी और सेमिनार)
- 18-20 अक्टूबर, 2019 तक पीतमपुरा दिल्ली हाट, नई दिल्ली में "6वां सक्रिय भारत-2019" समकालीन प्रदर्शनी 'मेरी दिल्ली उत्सव 2019'
- 4 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में विश्व पर्यावास दिवस 2019 के समारोह के दौरान "अग्रणी प्रौद्योगिकी : अपशिष्ट से संपदा अंतरण का नवोन्नेषी टूल" विषय पर दिव्यांग बच्चों की पुरस्कार विजेता पेंटिंग की प्रदर्शनी।

II सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि

- 3 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में राजभाषा के संबंध में कार्यशाला का आयोजन
- निर्माण अपशिष्ट न्यूननरू डर्विन, आस्ट्रेलिया में 23-24 अप्रैल, 2019 तक आस्ट्रेलिया- भारत सहयोगात्मक कार्यशाला
- बीएमटीपीसी द्वारा नई दिल्ली में 3 मई, 2019 को आयोजित भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी डिज़ाइन एवं निर्माण पद्धतियों पर विषय-परक कार्यशाला
- 7-8 मई, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित राहत आयुक्तों का वार्षिक सम्मेलन
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 15 मई, 2019 को आवासी निर्माण लेबलिंग कार्यक्रम के संबंध में प्रथम जागरूकता कार्यशाला

- 22–24 मई 2019 को नई दिल्ली में एग्जीबिशंस इंडिया और आईटीपीओ द्वारा आयोजित 5वें स्मार्ट सिटीज इंडिया 2019 / बिल्डिंग इंडिया एक्सपो के दौरान सम्मेलन
- 31 मई 2019 को नई दिल्ली में योजना तथा वास्तुकला विद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आवास सम्मेलन 2019 का आयोजन
- 4 जून, 2019 को गुरुग्राम में बीएमटीपीसी द्वारा आयोजित भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी डिजाइन और निर्माण पद्धतियों पर विषयपरक कार्यशाला
- प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 17 जून, 2019 को लखनऊ में आयोजित “बड़ी संख्या में आवास निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग” के संबंध में संवेदीकरण कार्यक्रम
- हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया द्वारा 18 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एशिया पैसिफिक हाउसिंग फोरम (एपीएचएफ-7)
- 19 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में सुरक्षित स्मार्ट सिटी सम्मेलन
- 26 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में खान मंत्रालय द्वारा आयोजित रेड मड के प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन पर ‘अपशिष्ट से संपदाएँ नामक कार्यशाला।
- 19–20 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में नारड़को द्वारा आयोजित 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन (सब के लिए आवास 2022)
- नई दिल्ली में 29 अगस्त, 2019 को माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री द्वारा भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस के संबंध में ई-कोर्स और “अंगीकार – परिवर्तन प्रबंधन के लिए एक अभियान” की शुरुआत
- 7–9 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच आयोजित 6वीं रणनीतिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) नई दिल्ली में आयोजित की गई
- बीएमटीपीसी द्वारा 11 सितंबर, 2019 को पुढुचेरी में आयोजित भारत के अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी डिजाइन और निर्माण पद्धतियों पर आयोजित विषयगत कार्यशाला
- ग्रीन अफोर्डेबल न्यू-हैबिटेट (आंगन) द्वारा प्रकृति का संवर्धन – बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी में क्रांतिकारी बदलाव के लिए एक प्रांगण – 9 – 11 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय भवन ऊर्जा दक्षता सम्मेलन
- 4 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व पर्यावास दिवस 2019 समारोह
- 12 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में 14वां केंद्रीय सूचना आयोग वार्षिक सम्मेलन
- हड्डको द्वारा 15 से 18 अक्टूबर 2019 को गोवा में आयोजित ‘सतत और किफायती आवास की आयोजना एवं कार्यान्वयन – प्रधान मंत्री आवास योजना पर परिप्रेक्ष्य’ के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम

- शिमला में 22 – 23 अक्टूबर 2019 को शिमला में पर्वतीय नगरों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की चुनौतियों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला
- 29 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य की अध्यक्षता में “सत्यनिष्ठा – एक जीवन पद्धति” विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के अवसर पर कार्यशाला।
- 11 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में एनसीआरपीबी द्वारा “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर उद्घाटन कॉन्कलेव – 2041 – वृहत्तम राजधानी क्षेत्र के लिए भावी आयोजना”
- 13 नवंबर 2019 को मुंबई में तोड़फोड़, पुनर्चक्रण और सुधार – डेमटेक इंडिया 2019
- 26 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित भारत में किफायती आवास पर चतुर्थ सम्मेलन।
- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) योजना के अंतर्गत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 4 नवंबर से 13 दिसंबर, 2019 तक नई दिल्ली में एचएसएमआई द्वारा आयोजित “अनौपचारिक बस्तियों का औपचारिक समाधान” पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 3–6 दिसंबर 2019 को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 16वीं एनसीबी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी
- 17–18 दिसंबर 2019 को हैदराबाद में बीएमटीपीसी और सी–फार्म द्वारा आयोजित कृषि, वानिकी और अन्य अनुप्रयोगों में उड़न राख (फ्लाई एश) के उपयोग पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 6–8 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में न्यू ग्रीन फील्ड टाउनशिप के विकास पर 24वां वार्षिक सम्मेलन और राष्ट्रीय संगोष्ठी
- 14 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन
- 17 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में एलएचपी की ग्रीन रेटिंग के लिए एलएचपी संविदाकारी अभिकरणों के लिए अनुकूलन कार्यशाला
- 18 जनवरी, 2020 को रांची में बीएमटीपीसी द्वारा आयोजित भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी डिजाइन और निर्माण पद्धतियों पर विषयगत कार्यशाला
- 21 जनवरी 2020 को मुंबई में सी–फार्म और बीएमटीपीसी द्वारा आयोजित “सतत निर्माण के लिए उड़न राख (फ्लाई एश) एवं निर्माण तथा तोड़–फोड़ (सी एंड डी) उत्पादों के उपयोग” के संबंध में कार्यशाला।
- 28–29 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में जीएचटीसी–इंडिया के अंतर्गत किफायती स्थायी आवास त्वरक – भारत (आशा – भारत) के लिए त्वरक कार्यशाला

- 22 फरवरी 2020 को तिरुपति में बीएमटीपीसी द्वारा आयोजित भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस एवं आपदा रोधी डिजाइन एवं निर्माण पद्धतियां पर विषयगत कार्यशाला
- 13 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में Connect@NAREDCO 2020 अधिप्राप्ति सम्मेलन
- 3 मार्च 2020 को नई दिल्ली में बीएमटीपीसी द्वारा आयोजित भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस और आपदा रोधी डिजाइन और निर्माण पद्धतियों पर विषयगत कार्यशाला
- 13 मार्च, 2020, नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) में इंडिया स्मार्ट सिटीज फैलोशिप कार्यक्रम

III तकनीकी समिति/कार्य समूह/ बैठकें आदि

- 15 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में सीआईडीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 91वीं बैठक
- 20 मई 2019 को नई दिल्ली में उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) चरण-II के संबंध में अपर सचिव (तकनीकी शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ बैठक
- 25 मई, 2019 को आईआईटी मुंबई में भूकंप इंजीनियरिंग पर संसाधन सामग्री के लिए विस्तृत रूपरेखा के विकास के लिए कोर ग्रुप की दूसरी बैठक
- 6 जून, 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में बीएमटीपीसी की कार्यकारी समिति की 56वीं बैठक
- नई दिल्ली में 10 जून, 2019 को श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (आरवीसी) की समीक्षा करने के लिए बैठक
- 25 जून, 2019 को नई दिल्ली में सीएसआईआर में सीएसआईआर फास्ट ट्रैक ट्रांसलेशन परियोजना बैठक
- 28 जून, 2019 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक (एचएफए) की अध्यक्षता में जीएचटीसी-इंडिया के अंतर्गत लाइट हाउस परियोजना (एलएचपी) के लिए आरएफपी को अंतिम रूप देने के लिए बैठक
- 28 जून 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के सीएसएमसी की 44वीं बैठक

- 1 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में श्री अनिल कुमार, अपर सचिव, ईएफसीसी मंत्रालय की अध्यक्षता में ईएफसीसी मंत्रालय द्वारा आयोजित केंद्रीय निगरानी समिति की दूसरी बैठक
- 1 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में जीएचटीसी-इंडिया की गतिविधियों के अनुपालन के लिए बैठक
- माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में 12 जुलाई, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित सीपीडब्ल्यूडी का 165वां स्थापना दिवस समारोह
- 16 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य की अध्यक्षता में जीएचटीसी-इंडिया के अंतर्गत ऊष्मायन और उत्प्रेरण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक
- 26 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के सीएसएमसी की 45वीं बैठक
- 20 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव (एचएफए) की अध्यक्षता में जीएचटीसी-इंडिया के अंतर्गत लाइट हाउस परियोजना – एलएचपी के निर्माण के लिए आगामी कार्य प्रणाली पर विचार-विमर्श के लिए ज्वाइनिंग आफ डॉट्स के संबंध में बैठक
- 27 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में टेरी द्वारा आयोजित 18वां दरबारी लाल सेठ स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया
- 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के सीएसएमसी की 46वीं बैठक।
- 25 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक
- 25 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के सीएसएमसी की 47वीं बैठक
- 21 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) पुरस्कार 2019 के लिए पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए स्क्रीनिंग समिति की दूसरी बैठक
- 31 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के सीएसएमसी की 48वीं बैठक

- 27 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के सीएसएमसी की 49वीं बैठक
- 28 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में बीएमटीपीसी की कार्यकारी समिति की 57वीं बैठक
- 17 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पीएसीएस) की तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) की 16वीं बैठक
- 27 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के सीएसएमसी की 50वीं बैठक
- 2 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में सीएसआईआर द्वारा आयोजित सिविल, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग (सीआईई) की एंड टैंच (2018–19 में समर्थित) विषयपरक सीएसआईआर–एफएफटीधृफटीसी परियोजनाओं के लिए समीक्षा समिति की दूसरी बैठक
- 7 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में 2020–21 के लिए इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस (आईबीसी) की गवर्निंग परिषद की बैठक
- 9 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में बिम्सटेक देशों के बीच पर्यावरणीय संरक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में कार्य योजना पर विचार–विमर्श के लिए एनडीएमए की बैठक
- 6 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर (हाउसिंग) पर आईएनएई फोरम की बैठक
- 11 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम) की अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) की 72वीं बैठक
- 13 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में "परचेज मीट" का आयोजन जोकि रियल एस्टेट डेवलपर्स और सहायक उद्योगों को अपने उत्पादों और सेवाओं के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करने की एनएआरईडीसीओ नारड़को द्वारा की गई एक अनूठी पहल है।
- 54 प्रमाणित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को चुनकर सूचीबद्ध करने के लिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चौलेंज – इंडिया (जीएचटीसी – इंडिया) के अंतर्गत गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति की श्रृंखलावार बैठकों का आयोजन
- त्वरक एवं इन्क्यूबेशन श्रेणी के लिए सभावी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं का चुनाव कर सूचीबद्ध करने के लिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चौलेंज – इंडिया (जीएचटीसी – इंडिया) के अंतर्गत गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति की श्रृंखलावार बैठकों का आयोज

- एलएचपी के निर्माण के लिए बोलीदाताओं से प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती – भारत (जीएचटीसी–इंडिया) के अंतर्गत गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति की शृंखलावार बैठकों का आयोजन
- योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली में ‘सामग्री और प्रौद्योगिकी’ विषय पर मास्टर ॲफ प्लानिंग (हाउसिंग) के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए व्याख्यानों की एक शृंखला का आयोजन
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की केंद्रीय पूँजी निवेश सब्सिडी योजना (सीसीआईएस), 2007 के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की शृंखलावार बैठकों का आयोजन।
- जीएचटीसी–भारत के दायरे में “यू अर्बन इंडिया (एनयूआई) : आवासन में प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष का संवर्धन”, एक्सपो–एवं–समेलन के आयोजन के लिए शृंखलावार बैठकों का आयोजन।

VI अन्य

- 23–24 अप्रैल, 2019 को डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में परिषद ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी के अनुरोध पर “निर्माण अपशिष्ट का न्यूनीकरण : ऑस्ट्रेलिया–भारत सहयोगात्मक कार्यशाला” में भाग लिया। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग और दीर्घकालिक द्विपक्षीय रणनीतियों की साझेदारी को बढ़ाना था, जहां शोधकर्ता, निर्णय लेने वाले अधिकारीगण और उद्योग महत्वपूर्ण निर्माण और तोड़–फोड़ अपशिष्ट (सीडीडब्ल्यू) प्रबंधन मुद्दों पर बेहतर ढंग से ज्ञान साझा करने और आपसी समझ के लिए मिलकर काम करते हैं।
- बीएमटीपीसी ने 7–9 सितंबर, 2019 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित “संसाधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण” से संबंधित कार्य समूह के भागीदार के रूप में भारत और चीन के बीच छठी रणनीतिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) में भाग लिया। पारस्परिक लाभ के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग करने के उद्देश्य से “निर्माण और तोड़–फोड़ (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रबंधन – भारतीय परिदृश्य” पर प्रस्तुति दी गई थी। पीपीपी मॉडल पर आईएल एंड एफएस द्वारा संचालित 7,20,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाले बुराड़ी स्थित दिल्ली नगर निगम के सी एंड डी प्रसंस्करण संयंत्र में भ्रमण के लिए आए प्रतिनिधिमंडल को भी ले जाया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष और कार्यदल का नेतृत्व संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय मिशन निदेशक (एसबीएम), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया।

- इंडो जर्मन एनर्जी प्रोग्राम के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई), ऊर्जा मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और उत्पाद नवोन्मेष के माध्यम से ईंट उद्योग में ऊर्जा दक्षता को सक्षम बनाने के लिए एक बाजार परिवर्तन रणनीति विकसित की है। परिषद ने 'राष्ट्रीय ईंट उद्योग मिशन' के लिए कार्य समूह के एक भाग के रूप में अपना योगदान दिया।
- सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के भाग के रूप में, अप्रैल 2019 में बहुत स्तर पर आवास के लिए 3डी वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट सिस्टम को समझने के लिए मैसर्स कटेरा के प्रीकास्ट विनिर्माण संयंत्र का दौरा किया। उनके सिस्टम का उपयोग करते हुए बैंगलुरु में चल रही परियोजना के स्थल का भी दौरा किया गया।
- "कम आय वर्ग के लिए बाजार प्रेरित किफायती समूह आवास के लिए अपने डिजाइन इंटरफ़ेस के साथ मॉड्यूलर इन्फिल और इंटरलाकिंग एएसी ब्लॉक का विकास" परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आईआईटी रुड़की का दौरा किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एमओएचआरडी की उच्चतर आविष्कार योजना के अंतर्गत निधियां उपलब्ध करायी हैं। इस परियोजना के लिए निधियां जारी करने पर विचार करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
- हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने हरियाणा में औद्योगिक श्रमिकों के लिए किफायती आवास की अपनी परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने के लिए बीएमटीपीसी से अनुरोध किया। इस संबंध में, एचएसआईआईडीसी के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं। एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों के समक्ष परियोजना में उपयोग की जाने वाली विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में एक प्रस्तुति दी।
- संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) ने भी बीएमटीपीसी से गोवा में किफायती आवास की परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है। यूएनओपीएस को एक प्रस्ताव भेजा गया था और उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में पूर्व-निर्मित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए औषध भण्डारों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने के लिए बीएमटीपीसी से अनुरोध किया है। मिशन निदेशक, एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और प्रधान सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार को पीयूएफ रोधी भवन बनाम परम्परागत आरसीसी भवन के लाभों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। विस्तृत रिपोर्ट के संबंध में अंतिम प्रस्तुतिकरण मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

- केरल सरकार ने हाल में आयी बाढ़ों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए घरों का पुनर्निर्माण करने के लिए बीएमटीपीसी से प्रौद्योगिकियों का चयन करने में मदद करने के लिए अनुरोध किया है। यह परिषद केरल सरकार को अपनी तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रही है। इसके अलावा, बीएमटीपीसी लाइफ मिशन, केरल सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का एक भाग होने के रूप में केरल के सभी जिलों में पायलट लाइफ टॉवर के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों का सुझाव दिया है।

प्रस्तुतिकरण सहित प्रस्तुत/प्रकाशित आलेख

- 23–24 अप्रैल, 2019 को डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में निर्माण अपशिष्ट न्यूनीकरण: ऑस्ट्रेलिया – भारत सहयोगात्मक कार्यशाला के दौरान निर्माण और तोड़–फोड़ अपशिष्ट प्रबंधन–भारतीय परिदृश्य, पर प्रस्तुति
- 22–24 मई 2019 को नई दिल्ली में एंजीबिशन इंडिया और आईटीपीओ द्वारा आयोजित 5वीं स्मार्ट सिटीज इंडिया 2019 / भवन इंडिया एक्सपो के दौरान स्थायी समूह आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर प्रस्तुति
- 31 मई 2019 को नई दिल्ली में योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आवास सम्मेलन 2019 के दौरान समूह आवास के लिए नवोन्मेष निर्माण प्रणालियों पर प्रस्तुति
- 18 जून, 2019 को लखनऊ में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पीयूएफ सैंडविच पैनल का उपयोग करते हुए प्रस्तावित औषध भण्डारों के निर्माण पर प्रस्तुति।
- 18 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया द्वारा आयोजित एशिया पैसिफिक हाउसिंग फोरम (एपीएचएफ-7) के दौरान किफायती आवास के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुति
- 19 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में सुरक्षित स्मार्ट शहरों के सम्मेलन के दौरान आपदा शमन और प्रबंधन – भारत में जोखिम भेद्यता पर प्रस्तुति
- 07–09 सितम्बर 2019 के दौरान नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच आयोजित 6वीं रणनीतिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) में “निर्माण और तोड़–फोड़ (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रबंधन – भारतीय परिदृश्य” पर प्रस्तुति।
- 9 सितंबर – 11 सितंबर 2019 तक नई दिल्ली में ग्रीन अफोर्डेबल न्यू-हैबिटैट (आंगन) द्वारा प्रकृति के संवर्धन के दौरान टिकाऊ भवन–सामग्रियों और निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतिकरण – बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी में क्रांतिकारी बदलाव का एक प्रांगण – अंतर्राष्ट्रीय निर्माण ऊर्जा दक्षता सम्मेलन
- बीएमटीपीसी द्वारा विश्व पर्यावास दिवस 2019 के अवसर पर निर्माण सारिका के विशेषांक में प्रकाशित सतत–स्थायी भवन–निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी पर लेख

- 15 से 18 अक्टूबर 2019 तक गोवा में टिकाऊ और किफायती आवास की आयोजना एवं कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम” – हड्डकों द्वारा आयोजित पीएमएवाई के संबंध में संदर्श – के दौरान ‘नए और उभरते समूह निर्माण प्रौद्योगिकी समाधान’ पर प्रस्तुति
- 13 नवंबर 2019 को मुंबई में तोड़-फोड़, पुनर्चक्रण एवं समाधान – डेमटेक इंडिया, के दौरान निर्माण और तोड़-फोड़ अपशिष्ट प्रबंधन – भारतीय परिदृश्य, पर प्रस्तुति
- 26 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित भारत में किफायती आवास पर चतुर्थ सम्मेलन के दौरान समूह आवास के लिए नवोन्मेष निर्माण प्रणालियों पर प्रस्तुति।
- 4 नवंबर से 13 दिसंबर, 2019 तक नई दिल्ली में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) योजना के अंतर्गत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एचएसएमआई द्वारा आयोजित “अनौपचारिक बस्तियों का औपचारिक समाधान” पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पीएमएवाई-यू के अंतर्गत नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतीकरण
- 3-6 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 16वें एनसीबी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान किफायती आवास के लिए फास्ट ट्रैक निर्माण प्रणालियां – समय की जरूरत, पर प्रस्तुति
- कृषि और औद्योगिक कचरे से निर्माण सामग्री और उत्पाद – सामग्री और प्रौद्योगिकी (एचएसई207) पर प्रस्तुति – स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए व्याख्यानरूप मास्टर आफ प्लानिंग (आवास), आवास विभाग, एसपीए, नई दिल्ली
- 15 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में हड्डकों के संस�ान एच एस एम आई द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आवास के लिए वैकल्पिक भवन, निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी, पर प्रस्तुति
- 13 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में Connect@NAREDCO 2020 खरीद बैठक के दौरान समूह आवास के लिए उभरती निर्माण प्रणालियों पर प्रस्तुति
- 13 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) में ‘इंडिया स्मार्ट सिटीज फैलोशिप प्रोग्राम’ के अध्येताओं के लिए “पीएमएवाई (यू) के कार्यान्वयन और आवास के निर्माण में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग” पर प्रस्तुति।

वर्ष के दौरान प्रकाशित प्रकाशन

- विश्व पर्यावास दिवस 2019 के विषय “अग्रणी प्रौद्योगिकियां / अपशिष्ट से संपदा अंतरण का नवोन्मेषी टूल” पर न्यूजलैटर “निर्माण सारिका” का विशेष अंक
- सभी के लिए किफायती आवास के लिए समर्थकारी पर्यावरण सुलभ कराना, शीर्षक से परिषद का ब्रोशर
- भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस के तृतीय संस्करण की प्रस्तावना पर ब्रोशर



निर्माण सामग्री एवं प्रोटोटाइकी संवर्द्धन परिषद्
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोर ५ए, पहली मंजिल, इंडिया हैबीटेक सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – ११०००३
टेलीफोन नं. ९१-११-२४६३६७०५, २४६३८०९७; फैक्स नं. ९१-११-२४६४२८४९
ई-मेल: info@bmtpc.org